<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 06/35/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 20.03.2025

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 31/2023</u>

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन तक के एल्युमिनियम फोइल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 06/35/2023-डीजीटीआर – समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे एडी नियमावली या पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र और ढंग

से एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित किए गए "80 माइक्रोन तक के एल्युमीनियम फोइल, नॉन-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फोइल को छोड़कर" (जिसे आगे "एल्युमीनियम फोइल " या "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने पहले चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फोइल " के आयात के संबंध में एक मूल पाटनरोधी जांच की थी, जिसे अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी दिनांक 15 दिसंबर, 2015 के माध्यम से शुरू किया गया था। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी, दिनांक 10 मार्च, 2017 के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 23/2017- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2017 के माध्यम से शुल्क लगाया था।

3. प्राधिकारी ने बाद में पहली निर्णायक समीक्षा की थी, जिसे अधिसूचना संख्या 7/27/2021-डीजीटीआर दिनांक 16 सितंबर, 2021 के माध्यम से शुरू किया गया था। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/27/2021-डीजीटीआर दिनांक 14 मार्च, 2022 के माध्यम से शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। तथापि, वित्त मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। तदनुसार, 15 मई, 2022 के बाद शुल्क समाप्त हो गए।

4. घरेलू उद्योग द्वारा दायर प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या 06/21/2020-डीजीटीआर दिनांक 18 जून, 2021 के माध्यम से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन जन. गण. (चीन जन. गण. से 5.5-80 माइक्रोन एल्यूमीनियम फोइल को छोड़कर) से "80 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फोइल" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के माध्यम से स्वीकार कर लिया था। यह शुल्क आज तक और 15

सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा। वर्तमान आवेदकों ने पाटन और क्षति मार्जिन के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च, 2024 के माध्यम से थाईलैंड से "80 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फोइल" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की है। यह जांच चल रही है।

5. चीन जन. गण. से "5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्युमीनियम फोइल " पर शुल्क समाप्त होने के बाद आवेदकों ने प्राधिकारी से संपर्क किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि शुल्क समाप्त होने के बाद संबद्ध आयातों ने भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में पुन: प्रवेश करना शुरू कर दिया है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अधिसूचना संख्या 06/35/2023- डीजीटीआर दिनांक 21 मार्च, 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

6. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अधिसूचना संख्या 06/35/2023-डीजीटीआर दिनांक 21 मार्च, 2024 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई।

iii. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमवली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमवली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। अनुरोध करने पर आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमवली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत जानकारी मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
1.	डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हांगकांग ट्रेडिंग
2.	डोंग गुआन काई युआन प्लास्टिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
3.	फेंगचेंग हुआकियांग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
4.	हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
5.	गुआंगज़ौ मायवॉ डेकोर कंपनी लिमिटेड
6.	लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
7.	एम कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
8.	शांडोंग मिंगडा पैकिंग प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड
9.	जियांगयिन बॉन्डटेप टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन
10.	ह्यूजमैटिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
11.	जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स जॉइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड
12.	जियांग्सू फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी

	लिमिटेड
13.	एमएस झेंग्झौ मिंगताई इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
14.	पेक्सियन फेंगयुआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेड कंपनी लिमिटेड
15.	किंगदाओ डोंगहाई एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
16.	शांडोंग डेली एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
17.	टीजेपीएफटीजेड एल.एक्स. इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
18.	विक्टरी फूड स्पेशलिटीज एफजेडई
19.	वूशी मायरीड कॉर्पोरेशन
20.	हेबई नॉर्थ चाइना एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
21.	ज़ियामेन कोलिसन पैकेजिंग इंटीग्रेशन कंपनी लिमिटेड
22.	युन्नान हॉक्सिन एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड
23.	झांगझोउ बानरूओ आयात निर्यात कंपनी लिमिटेड
24.	झेंगझोउ मिंगताई इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
25.	डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
26.	ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड
27.	जियांग्सू अल्चा एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
28.	आर्कोनिक (कुंशान) एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

vi. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है या अनुरोध किया है:

क्र.सं.	प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक
1.	एटीईसी न्यू मटेरियल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
2.	डैचिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड

3.	डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
4.	हांग्जो डिंगशेंग आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
5.	हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
6.	हेनान मिंगशेंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
7.	हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
8.	इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कंपनी लिमिटेड
9.	जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड
10.	जियांग्सू फैंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
11.	जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कंपनी (एचके) लिमिटेड
12.	जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
13.	कुंशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
14.	लोंगडिंग ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
15.	लुओयांग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
16.	लुओयांग वानजी एल्युमिनियम प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड
17.	पेइक्सियन फैंगयुआन आयात और निर्यात व्यापार कंपनी लिमिटेड
18.	शांगडोंग डेली एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
19.	शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड
20.	सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
21.	टेट्रा पाक बीजिंग कंपनी लिमिटेड
22.	टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाई एसए
23.	टेट्रा पाक जुरोंग पीटीई लिमिटेड
24.	ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड

vii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावलियां भी भेजी गईं थी :

क्र.सं.	**आयातक / प्रयोक्ता**	**क्र.सं.**	**आयातक / प्रयोक्ता**
1.	एसीई ओवरसीज	2.	मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3.	आर डी इंडस्ट्रीज	4.	मॉडर्न लैमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	अजंता पैक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	6.	मोहन मुथा पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
7.	एसीजी फार्मापैक प्राइवेट लिमिटेड	8.	मोंटेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
9.	एयरो इनकॉरपोरेशन	10.	मोंटेक्स ग्लास फाइबर इंड प्राइवेट लिमिटेड
11.	एयर इंडिया लिमिटेड	12.	नाग्रीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	डीबी इंटरनेशनल	14.	नोबेल चॉकलेट्ज
15.	एलस्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	16.	ओसवाल एक्सट्रूज़न लिमिटेड
17.	अलुफॉइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	18.	पारिख पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
19.	अलुटेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	20.	पॉलीबॉन्ड इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड
21.	अंसापैक प्राइवेट लिमिटेड	22.	प्रज्ञा फ्लेक्सी फिल्म इंडस्ट्रीज
23.	असावा इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड	24.	प्रिंटमैन ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड
25.	अशोका टेसिल्स	26.	प्यूरिटी फ्लेक्स पैक लिमिटेड
27.	ऑडैक्स प्रोटेक्टिव फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	28.	आर एस फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	एवी एंटरप्राइजेज	30.	राधिका एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन
31.	बालाजी पैकेजिंग कंपनी	32.	रहेजा पॉलिमर्स एंड केमिकल्स

33.	बिलकेयर लिमिटेड	34.	राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
35.	एस्सेल थर्मोवेयर प्राइवेट लिमिटेड	36.	रविराज फोइल्स लिमिटेड
37.	एस्सेल प्रोपैक लिमिटेड	38.	रॉकडूड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
39.	फ्यूचरिस्टिक मार्केटिंग सॉल्यूशंस	40.	रॉयल इंटरनेशनल
41.	जी एल एस फिल्म्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	42.	एस एल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
43.	गजरा ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	44.	सांवरिया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
45.	जीप इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	46.	एसएपीएल स्टील एलएलपी
47.	जीके एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	48.	सतनाम प्रिंट एन पीएसी
49.	ग्रीनबेरी फोइल्स इंडिया लिमिटेड	50.	शार्बिन इंटरनेशनल
51.	गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	52.	शेल एन ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड
53.	हीना रोटो प्रिंट्स	54.	श्री महावीर सेल्स कॉर्पोरेशन
55.	हिंद फोइल्स एलएलपी	56.	श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड
57.	हिंद ग्लोबल	58.	सिद्धी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
59.	होममेड बेकर्स इंडिया लिमिटेड	60.	सिल्वर फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड
61.	हुहतमाकी पीपीएल लिमिटेड	62.	सिप्ला सॉल्यूशंस
63.	आइनॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64.	एसएमवी इम्पेक्स
65.	इंटरनेशनल ट्रेडर्स	66.	एसएनएस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
67.	जैश पैकेजिंग कंपनी	68.	सोरिच फोइल्स लिमिटेड
69.	फ्लोरा इंडस्ट्रीज	70.	स्पर्श पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

71.	इंटरनेशनल ट्रेडर्स	72.	स्वम टॉयल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
73.	जिंदल इंडिया लिमिटेड	74.	श्री वेंकटेश्वर कॉइल मिल प्राइवेट लिमिटेड
75.	जुपिटर लैमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	76.	स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
77.	कप कोन्स प्राइवेट लिमिटेड	78.	सुपर पैकेजिंग्स
79.	किंजल इम्पेक्स	80.	सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी
81.	आईटीसी लिमिटेड	82.	सिंथिको फोइल्स लिमिटेड
83.	कनोडिया टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड	84.	तानिया पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
85.	केएच एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	86.	टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड
87.	केफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	88.	जेडएएफ ओवरसीज एलएलपी
89.	किंजल इम्पेक्स	90.	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
91.	कुलोदय उद्योग	92.	थर्मल इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड
93.	महावीर पेपर ट्रेडिंग कंपनी	94.	थर्मोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
95.	लिली पिंस प्रा. लिमिटेड	96.	वीवा कम्पोजिट पैनल प्राइवेट लिमिटेड
97.	महेश मेटलॉयज प्रा. लिमिटेड	98.	ट्रैफोमेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
99.	मालिंदी रिटेल प्रा. लिमिटेड	100.	ट्रेंडज़ इंटरनेशनल
101.	मरुधर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	102.	ट्रू वैल्यू इंटरनेशनल
103.	मारुति पेपर इंडिया कंपनी	104.	यूफ्लेक्स लिमिटेड
105.	मास्टर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	106.	यूनिटेक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
107.	माज़्दा एजेंसियां	108.	यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड
109.	मेडिकैप हेल्थकेयर लिमिटेड	110.	यू.पी. ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड

111.	श्रीनाथ रोटोपैक प्रा. लिमिटेड	112.	विशाल कंटेनर्स लिमिटेड

viii. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है या अनुरोध किये हैं:

क्र.सं.	**प्रतिवादी आयातक / प्रयोक्ता**
1.	एमकोर फ्लेक्सिबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	असावा इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड
3.	कैप्रिहान्स इंडिया लिमिटेड
4.	डाल्फो फ्लेक्सीकैप प्राइवेट लिमिटेड
5.	एमिनेंट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
6.	इंडियन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड फोल्डिंग कार्टन मैन्युफैक्चरर्स
7.	ज्वेल पैकेजिंग पी लिमिटेड
8.	जिल पैक
9.	मोंटेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
10.	नागरीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड
11.	पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड
12.	पहाड़पुर 3पी प्राइवेट लिमिटेड
13.	पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड
14.	राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
15.	रॉकवूड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	सिल्वर फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी
18.	टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

19.	यूफ्लेक्स लिमिटेड
20.	एसीजी फार्मापैक प्राइवेट लिमिटेड

ix. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 (12 महीने) की है (जिसे इसके बाद "जांच की अवधि" या "पीओआई" कहा गया है)। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती वर्ष, 2019-20, 2020-21, 1 अप्रैल, 2021 - 30 सितंबर, 22 (वार्षिकीकृत) शामिल हैं।

x. प्राधिकारी ने 21 मार्च, 2024 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 7 के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पर अपनी टिप्पणियां जांच शुरूआत के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जो 5 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे या पीसीएन के निर्माण के संबंध में निर्धारित समय अवधि के भीतर किए गए सभी अनुरोध पर विचार किया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 6 जून, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन के दायरे को स्पष्ट करने के लिए कार्यवाही की, जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में प्रस्तावित है।

xi. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। घरेलू उद्योग और निम्नलिखित अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	**प्रतिवादी निर्यातक / आयातक**
1.	एटीईसी न्यू मटेरियल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, हांगकांग
2.	डाल्फो फ्लेक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड
3.	डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
4.	एमिनेंट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
5.	हांग्जो डिंगशेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

6.	हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
7.	इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कंपनी लिमिटेड
8.	जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड
9.	जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मटेरियल कंपनी (एचके) लिमिटेड
10.	जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मटेरियल कंपनी लिमिटेड
11.	लॉन्गडिंग ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा.लि.
12.	लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
13.	नाग्रीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
14.	पैरामाउंट यूनिवर्सल प्रा.लि.
15.	रॉकड्यूड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	शांडोंग डेली एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
17.	शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड
18.	सिल्वर फोइल प्राइवेट लिमिटेड
19.	सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
20.	सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी
21.	टेट्रा पैक बीजिंग कंपनी लिमिटेड
22.	टेट्रा पैक ग्लोबल सप्लाई एसए
23.	टेट्रा पैक इंडिया प्रा.लि.
24.	टेट्रा पैक जुरोंग प्रा.लि.

xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है,

जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

xiii. प्राधिकारी ने आवश्यक सीमा तक उत्पादकों से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का डेस्क सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया। प्राधिकारी ने 9 और 10 जनवरी, 2025 को दो घरेलू उत्पादकों का ऑनसाइट सत्यापन भी किया।

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश जांच दल के साथ-साथ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

xv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 6 दिसंबर 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को 13 दिसंबर, 2024 तक लिखित रूप में प्रस्तुत करें, इसके बाद 20 दिसंबर, 2024 तक खंडन अनुरोध प्रस्तुत करें।

xvi. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/35/2023 - डीजीटीआर के माध्यम से 28 अगस्त, 2024 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए। प्रारंभिक जांच परिणाम में रिकार्ड के अनुसार, प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई के समय उस पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

xvii. प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी होने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 1 जनवरी, 2025 और 11 फरवरी, 2025 की दो शुद्धिपत्र अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसके द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे में "5 माइक्रोन से कम और 5 माइक्रोन से अधिक और 5.5 माइक्रोन तक के कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फोइल " को शामिल किया गया।

xviii. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्क और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर, जहां तक उन्हें

साक्ष्यों के साथ समर्थित किया गया और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माना गया, इस दस्तावेज में प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की हैं।

xx. प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स डेटा पर भरोसा किया है।

xxi. गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य (एनआईपी) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुलग्नक III के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, उत्पादन की लागत और भारत में विषयगत वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या डंपिंग मार्जिन से कम एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xxii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और प्रदत्त सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है।

xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी समुक्तियां दर्ज की है।

xxiv. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, इच्छुक पक्षों को 12 मार्च 2025 को जारी किया गया था और इच्छुक पक्षों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 17 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरणों पर टिप्पणियों पर, जहाँ तक प्रासंगिक पाया गया, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में विचार किया गया है।

xxv. इस अंतिम जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxvi. अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपए में बदलने के लिए पीओआई के लिए विचारित विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.21 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु</u>

7. विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) को जांच शुरूआत अधिसूचना के स्तर पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

2. वर्तमान *आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "एल्यूमीनियम फोइल " है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है), इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:*

i. गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए चीन जन. गण. से 5.5 माइक्रोन से कम की एल्यूमिनियम फोइल । कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन से कम की एल्यूमिनियम फोइल, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है। इसे विशेष रूप से "चीन जन. गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम की एल्यूमिनियम फोइल " के संबंध में की गई पाटनरोधी शुल्क की जांच से विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया था ।

ii. इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग के लिए अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड फोइल - अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड फोइल, एक एल्यूमिनियम फोइल है जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन होती है और इसे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ, चाहे प्लेन या मुद्रित, इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग के लिए बैक किया जाता है।

iii. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के लिए एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल - एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल, ऐसी एल्युमीनियम फोइल है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयोग होती है।

iv. पैकेड क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए लक्षित एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (प्राय: पीई) होता है जिसे पैकेड क्लैडिंग और साइनेज के प्रयोग के लिए एल्यूमीनियम की दो पतली परतों के बीच जोड़ा जाता है।

v. संगत गैर-क्लैडड एल्युमीनियम फोइल सहित क्लैड - संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फोइल के साथ क्लैड एल्युमीनियम सतह परत से निर्मित एक जंगरोधी एन्युमीनियम शीट होती है जिसे धात्विक रूप से उच्च मजबूती की एल्युमीनियम अलॉय की कोर सामग्री से जोड़ा जाता है ताकि उसे ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम में उपयोग किया जा सके जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

vi. बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फोइल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फोइल, जिसकी सतह खुरदरी और छिद्रित होती है, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, बीयर की बोतल में प्रयोग की जाती है।

vii. एल्युमिनियम - मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड- पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक हो, जो रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उसके भागों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए टैरिफ शीर्ष 7607 के अंतर्गत आते हैं।

viii. अधेसिव टेप ।

ix. कलर कोटेड एल्युमिनियम फोइल ।

8. एल्युमीनियम फोइल का उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की सुरक्षा, भंडारण और तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य और खाद्य उत्पादों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जाता है।

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु के आयात भारत में निम्नलिखित कोड 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत भारत

में प्रवेश कर रहे हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

10. आवेदकों ने दायर आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया हैं:

क्र.सं.	**फोइल के प्रकार**	**माइक्रोन रेंज**	**बेयर/ परिवर्तित**
1	एलू एलू स्टॉक	45-60	बेयर फोइल
2	हाउस फ़ॉइल	8 - 22	बेयर फोइल
3	लाइट गेज (एलजी)	7 - < 20	बेयर फोइल
4	मीडियम गेज (एमजी)	20-60	बेयर फोइल
5	सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी)	30 - 80	बेयर फोइल
6	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5 - <7	बेयर फोइल
7	बैटरी फोइल	9 - 20	बेयर फोइल
8	कैपेसिटर	4.5 - 20	बेयर फोइल
9	कोई अन्य बेयर फोइल (1-8 के भीतर नहीं आने वाली)		बेयर फोइल
10	सिगरेट फोइल	< = 7	परिवर्तित
11	हाउस फोइल परिवर्तित	8 - 22	परिवर्तित
12	एसआरसी परिवर्तित	30 - 80	परिवर्तित
13	मध्यम गेज (एमजी) परिवर्तित	20-60	परिवर्तित
14	लाइट गेज (एलजी) परिवर्तित	7 - < 20	परिवर्तित
15	बैटरी फोइल परिवर्तित	9 - 20	परिवर्तित
16	एलू एलू परिवर्तित/लेमिनेटेड	45-60	परिवर्तित

17	कोई अन्य परिवर्तित फोइल (10-16 के भीतर नहीं आने वाली)		परिवर्तित

11. पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीयूसी या प्रस्तावित पीसीएन पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

12. जांच शुरूआत अधिसूचना जारी होने के पश्चात विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। हितबद्ध पक्षकारों के साथ पीयूसी तथा पीसीएन पर चर्चा करने के लिए 8 मई, 2024 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पीयूसी को उत्पाद की मोटाई के किसी संदर्भ के बिना परिभाषित किया गया है। इस जांच में पीयूसी के दायरे में पूर्ववर्ती जांच के साथ अतिव्यापन है।

ii. पीयूसी का दायरा केवल 80 माइक्रोन तक है, क्योंकि प्रस्तावित पीसीएन की मोटाई 80 माइक्रोन तक है और टैरिफ शीर्ष 7607 में केवल 200 माइक्रोन से कम की एल्युमिनियम फोइल शामिल हैं। इसके अलावा, 80 माइक्रोन से अधिक की फोइल पर एफआरपी पर जांच के बाद पहले से ही शुल्क लगता है और इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. वर्तमान जांच केवल पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच की पुनः जांच है, इसलिए, 5.5 माइक्रोन से कम और 80 माइक्रोन से अधिक की फोइल पीयूसी के दायरे में नहीं आती है। प्राधिकारी द्वारा पीयूसी की परिभाषा में इसे स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए।

iv. इसके अलावा, 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमिनियम फोइल पर पहले से ही एडीडी लगाया गया है, इसलिए वर्तमान जांच में इसे पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।

v. मूल जांच में "एलू एलू लेमिनेट" और "5.5 माइक्रोन से कम कैपेसिटर एप्लीकेशन के लिए एल्युमिनियम फोइल " को बाहर रखा गया था। चूंकि मूल जांच में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इन दोनों को बाहर रखा जाना चाहिए।

vi. यदि कैपेसिटर के लिए फोइल शामिल है, तो भी पीसीएन के लिए रेंज 4.5-20 माइक्रोन होनी चाहिए। यदि 5.5 माइक्रोन से कम कैपेसिटर फोइल रेंज के भीतर नहीं है, तो पीसीएन 5.5-20 माइक्रोन होना चाहिए।

vii. सिगरेट फोइल के लिए माइक्रोन सीमा '<=7' के रूप में उल्लिखित है। तथापि, 5.5 माइक्रोन से कम की फोइल पहले से ही एडीडी के अधीन है। अत:, पीसीएन को "5.5-7 माइक्रोन" में संशोधित किया जाना चाहिए।

viii. क्लैड एल्युमिनियम फिन स्ट्रिप्स को 7606 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और पीयूसी 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आयातित स्ट्रिप की मोटाई 0.23 मिमी - 0.30 मिमी (230 माइक्रोन से 300 माइक्रोन) के बीच है। जबकि 7607 के सीमा शुल्क वर्णन के अनुसार, इसमें 0.2 मिमी तक की मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) शामिल है।

ix. जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित अपवर्जनों के अनुसार, ऑटोमोटिव उद्योग में उपयोग की जाने वाली क्लैड एल्यूमीनियम फिन स्ट्रिप्स को पहले ही बाहर रखा गया है। इस उत्पाद की कोई घरेलू आपूर्ति नहीं है। इसलिए स्पष्ट करें कि क्लैड एल्यूमीनियम फिन स्ट्रिप्स पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं है। वैकल्पिक रूप से, जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड 2(v) और (vii) को संशोधित करें जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक अनुप्रयोगों में ड्राई कूलिंग के स्टीम कंडेनसर में उपयोग के लिए फिन ट्यूब के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली शीर्ष 7606 के अंतर्गत इस "क्लैड एल्यूमीनियम फिन स्ट्रिप्स" को बाहर रखा गया है।

x. एलु एलु फोइल स्टॉक (45-60 माइक्रोन) के साथ-साथ लाइट गेज फोइल को भी बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में इस उत्पाद का केवल एक ही आपूर्तिकर्ता है। इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए भारत में क्षमता की

कमी है। भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जा रही गुणवत्ता घटिया गुणवत्ता है।

xi. उत्पाद पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फोइल ("पीयू कोटेड एल्युमिनियम फोइल") जिसके दोनों ओर या दोनों ओर रंग है, भारत में उत्पादित नहीं होता है और इसका कोई स्थानापन्न नहीं है। भारतीय उत्पादकों के पास लैकर कोटिंग के लिए मशीनरी नहीं है। आयात किए जा रहे उत्पाद की कीमत एल्युमिनियम फोइल की औसत आयात कीमत से काफी अधिक है। इसका उपयोग इंसुलेटेड पैनल बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि ऐसी पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फोइल को बाहर रखे जिसके एक ओर या दोनों ओर रंग है।

xii. पैरा 5 में प्रस्तावित पीसीएन में निर्दिष्ट माइक्रोन रेंज सीमित हैं और हाउस फोइल और एसआरसी जैसे कुछ उत्पादों के लिए सभी संभावनाओं को कवर नहीं करती हैं। इन उत्पादों से जुड़े सौदो के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हुए तालिका में शामिल नहीं किए गए किसी भी माइक्रोन रेंज को शामिल करने के लिए एक पीसीएन बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एसआरसी के लिए प्रस्तावित रेंज केवल 30-80 है, जबकि एसआरसी के लिए अन्य माइक्रोन हो सकते हैं। इसलिए, एसआरसी के संबंध में 30-80 के अलावा किसी भी माइक्रोन रेंज को समायोजित करने के लिए पीसीएन तैयार किया जाना चाहिए।

xiii. अलॉय ग्रेड 8021 की एल्यूमीनियम फोइल, एक विशेष ग्रेड फोइल है जो अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण दवा पैकेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। हिंडाल्को एकमात्र उत्पादक है और घरेलू मांग का केवल 30 प्रतिशत ही पूरा करता है जिसके गुणवत्ता मानमों में कमी है। घरेलू कन्वर्टर में विशिष्ट मोटाई और चौड़ाई की जरूरत होती है जिसकी आपूर्ति हिंडाल्को नहीं करता है। एकाधिकार, आपूर्ति में कमी और दवाइयों कीमत में वृद्धि का जोखिम है। अत:, इसे बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका विशेष अनुप्रयोग है, मांग-आपूर्ति में अंतर है, आयात सीमित है और उद्योग तथा कीमतों पर इसका संभावित प्रभाव है।

xiv. अलॉय एए8011 और एए8079 से निर्मित एल्युमीनियम फोइल के मामले में यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से आयातित फोइल स्टॉक का मात्र कनवर्टर है। घरेलू उद्योग न्यूनतम मूल्यवर्धन के साथ फोइल स्टॉक को परिवर्तित करता है, जिससे परिवर्तित फोइल में मूल्य विकृतियां होती हैं। अधिकांश फार्मा उपभोक्ता उत्पाद वर्तमान में विशेष आपूर्तिकर्ता से आयातित विशिष्ट फोइल के साथ पंजीकृत हैं। कच्ची सामग्री के ग्रेड या विनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन महत्वपूर्ण है - अंतिम प्रयोक्ता के उत्पाद पर सीधा प्रभाव । घरेलू उत्पाद पर स्विच करने या अतिरिक्त लागतों की भरपाई करने में असमर्थ है।

xv. 6.3 माइक्रोन के अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमीनियम फोइल को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है और इसलिए क्षति का दावा नहीं कर सकता है। यदि इस शामिल किया जाता है तो अन्य एल्यूमिनियम फोइल पर नियत शुल्क की सिफारिश होने पर भी इसकी संदर्भ कीमत विहित करने का अनुरोध किया जाता है।

xvi. घरेलू उत्पादकों के पास मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए क्षमता और गुणवत्ता की कमी है। हिंडाल्को की नई क्षमता के चालू होने तक, संभवतः 2026 के बाद, चीन जन. गण. से अल्ट्रा-लाइट गेज एल्यूमीनियम फोइल का आयात आवश्यक है।

xvii. घरेलू उत्पादक कोयला आधारित ऊर्जा स्रोतों के कारण टेट्रा पैक के कार्बन उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, जबकि चीन के उत्पादक अक्षय ऊर्जा की ओर रुख कर रहे हैं।

xviii. पीसीएन और जांच के दायरे का उपयोग केवल उन उत्पादों को निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए जो आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे जाते हैं। प्रयोक्ता प्राय: तब आयात पर भरोसा करते हैं जब भारतीय उत्पादक पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ होते हैं।

xix. प्रयोक्ता आयात पर भरोसा करते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग बड़ी मात्रा के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है और बड़ी मात्रा में विशिष्ट उत्पादों के देयताओं को जरूरत पूरी करने में असमर्थ है। पीयूसी के दायरे को घरेलू उद्योग द्वारा पीओआई के दौरान वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति किए गए उत्पादों पर आधारित होना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. विचाराधीन उत्पाद दायरे के और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदन में बताए गए और बाद में जांच शुरूआत की सूचना में अधिसूचित पीयूसी का दायरा जारी रखा जाना चाहिए और इसे वैसे ही रखा जाना चाहिए, चाहे विस्तार हो या कटौती, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

ii. पीयूसी की परिभाषा स्पष्ट रूप से मोटाई की रेंज का उल्लेख कर सकती है। जैसा कि चर्चा के दौरान सभी पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई, परिभाषा को "गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फोइल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फोइल" के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा, ऊपर वर्णित अन्य उत्पादों को भी बाहर रखा गया है। केवल गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के ऐसे एल्यूमीनियम फोइल को बाहर रखा गया है जो अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/21/2020- दिनांक 18 जून, 2021 के माध्यम से उपायों के अधीन हैं।

iii. जहां तक "एक तरफ या दोनों तरफ रंग वाली पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमीनियम फोइल " को बाहर रखने का संबंध है और "कोटेड एल्युमीनियम फोइल - एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग पर ध्यान दिए बिना" को बाहर रखने की पुष्टि करने का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह पहले से ही खंड (ix) के अंतर्गत आता है। तथापि, प्राधिकारी विशिष्ट स्पष्टीकरण/पुष्टि प्रदान कर सकते हैं।

iv. लाइट गेज फोइल को बाहर रखने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह लाइट गेज फोइल का एक स्थापित उत्पादक है। यह पूर्ववर्ती जांचों में भी पीयूसी के दायरे का हिस्सा रहा है। इस उत्पाद को शामिल करने का पहले कभी किसी पक्षकार द्वारा दावा नहीं किया गया है। प्रतिवादी की यह टिप्पणी कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, एक सरासर गलत वक्तव्य है। बाहर रखने का यह अनुरोध निराधार है और इसमें कोई साक्ष्य नहीं है।

v. एलू एलू लेमिनेट के लिए बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में, वर्तमान जांच एक नई जांच है और पीयूसी का दायरा पूर्ववर्ती जांच से अलग है। पूर्ववर्ती जांच में, भारतीय उद्योग एलु एलू लेमिनेट का उत्पादन नहीं कर रहा था। एल्युटेक पैकेजिंग पी. लिमिटेड और ग्रीन बेरी फोइल्स इंडिया लिमिटेड जैसे अनेक उत्पादक अब इसका उत्पादन कर रहे हैं।

vi. घरेलू उद्योग सिगरेट फोइल संबंधी इस अनुरोध से सहमत है कि बताई गई पीसीएन रेंज को "5.5-7" में संशोधित किया जाना चाहिए, जबकि प्रस्तावित रेंज "7 माइक्रोन से कम" है।

vii. घरेलू उद्योग "क्लैड एल्युमिनियम फिन स्ट्रिप्स (अलॉय 4343/3003-एच24) और "दोनों तरफ या किसी एक तरफ रंग के साथ पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमिनियम फोइल" के संबंध में मांगे गए अपवर्जन और विशिष्ट स्पष्टीकरण पर सहमत हो गया है।

viii. चूंकि "एलु एलु फोइल स्टॉक" का उत्पादन और आपूर्ति हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की जाती है, इसलिए उन्होंने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- हिंडाल्को के पास पर्याप्त गुणवत्ता वाले एलू एलू स्टॉक/फोइल का उत्पादन और बिक्री करने की क्षमता है। एकाधिकार की स्थिति के बारे में अटकलें निराधार हैं, क्योंकि पाटनरोधी कानून एकमात्र उत्पादक को व्यापार सुधारात्मक उपाय अर्थात पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। यह घरेलू उत्पादकों को प्रयोक्ता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपकरण और तकनीक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, समान अवसर प्रदान करता है, उचित कीमत सुनिश्चित करता है और किसी भी देश से आयात को नहीं रोकता है।
- मांग-आपूर्ति का अंतर पाटनरोधी शुल्क न लगाने का कारक नहीं हो सकता क्योंकि यह आयात को नहीं रोकता है, परंतु यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर हों। अन्यथा भी, अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े सटीक नहीं हैं क्योंकि मांग अधिक दर्शाई गई है और आंकड़े हिंडाल्को की घरेलू बिक्री और एलू एलू स्टॉक/फोइल के आयात से मेल नहीं खाते हैं।

- इसने विभिन्न उपभोक्ताओं जैसे कि हितबद्ध पक्षकार (यूएफएलईएक्स) को एलू एलू स्टॉक/फोइल की आपूर्ति की है तथा यूएफएलईएक्स को की गई कुल आपूर्ति में से केवल नाममात्र की मात्रा में ही उक्त उत्पाद को गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण अस्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त, हिंडाल्को ने सेस्टेट द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख किया, जिसके अनुसार गुणवत्ता संबंधी मुद्दे पाटनरोधी शुल्क न लगाने के लिए चिंता का कारण नहीं हो सकते हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. विचाराधीन उत्पाद फोइल स्टॉक से विनिर्मित होता है। फोइल स्टॉक को रोलिंग इनगॉट द्वारा बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, एल्युमीनियम फ़्लैट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) को फोइल में आगे रोल किया जाता है। इसे फोइल में रोल किया जा सकता है या ऐसे ही खपत किया जा सकता है या कागज़, बोर्ड, प्लास्टिक या अन्य पैकेजिंग सामग्री के साथ प्रिंट/लेमिनेटेड (जिसे बैक्ड भी कहा जाता है) किया जा सकता है। एल्युमीनियम फोइल को उत्पादकों या कन्वर्टर्स या अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रिंट किया जा सकता है।

16. एल्युमीनियम फोइल का उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों, भेषज पैकेजिंग आदि के संरक्षण और भंडारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पैकेजिंग सामग्री के रूप में, खाद्य और खाद्य उत्पादों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए किया जाता है। एल्युमीनियम फोइल एक गैर-विषाक्त पदार्थ है। यह एक अच्छा थर्मल कंडक्टर भी है और आमतौर पर काफी लचीला होता है। एल्युमीनियम फोइल के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

क. दवाओं की पैकिंग के लिए फार्मास्यूटिकल्स उद्योग

ख. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए खाद्य उद्योग

ग. पैकेजिंग के लिए सिगरेट उद्योग

घ. तंबाकू पैकिंग (गुटखा)

ड. बीयर की बोतलें

17. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/अपवर्जन के अनुरोधों के संबंध में निम्नानुसार विचार करते हैं।

18. **फोइल की मोटाई**:- अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के संबंध में कि पीयूसी की परिभाषा में कवर की जा रही मोटाई को परिभाषित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने परिभाषा पर पुन: विचार किया है और परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया है "80 माइक्रोन तक एल्युमिनियम फोइल, गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन से कम एल्युमिनियम फोइल को छोड़कर"।

19. **लाइट गेज कोइल**:- लाइट गेज फोइल पर मांगे गए अपवर्जन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एल्युमिनियम फोइल के आयात के संबंध में अनेक जांच की गई हैं। लाइट गेज फोइल के उत्पादक के रूप में भारतीय उद्योग की स्थिति प्रदर्शित की गई है। अपवर्जन के अनुरोध का समर्थन करने के लिए वर्तमान जांच में साक्ष्य के साथ पुष्टि किए गए कोई दावे नहीं हैं। अत: प्राधिकारी इस उत्पाद के लिए मांगे गए अपवर्जन से सहमत होने में असमर्थ है।

20. **एलु एलु लेमिनेट और कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फोइल** : - इस आरोप वाले संबंध में कि "एलु एलु लेमिनेट" और "कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फोइल" को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले भी बाहर रखा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के तथ्य चीन जन. गण. से एल्युमीनियम फोइल पर पूर्ववर्ती एडीडी जांच के समान नहीं हैं। प्राधिकारी द्वारा की गई पूर्ववर्ती जांच में इन उत्पादों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि भारतीय उद्योग उस समय इन उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहा था। तथापि, तब से विभिन्न नए उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, मौजूदा उत्पादकों द्वारा उत्पादन रेंज में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अब इन उत्पादों का उत्पादन और बिक्री शुरू कर दी है और इसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अत:, प्राधिकारी इस उत्पाद के लिए मांगे गए अपवर्जन से सहमत नहीं हैं।

21. **45-60 माइक्रोन की रेंज की मोटाई वाले एलू एलू फोइल स्टॉक**:- "45-60 माइक्रोन की रेंज की मोटाई वाले एलू एलू फोइल स्टॉक" को बाहर करने के संबंध में यह नोट किया

जाता है कि स्वीकृत रूप से, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हिंडाल्को) उक्त मोटाई रेंज के भीतर समान वस्तु का उत्पादन कर रही है और इसने भारत में आयातित उत्पाद के समान विशेषताओं वाले संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, हिंडाल्को नियमित रूप से इस उत्पाद की आपूर्ति करती है।

22. **सिगरेट फोइल** :- आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकार दोनों, सिगरेट फोइल की माइक्रोन रेंज के संशोधन पर प्रस्तुत अनुरोध से सहमत हैं। प्राधिकारी भी पक्षकारों के सुझाव से सहमत हैं और तदनुसार सिगरेट फोइल के लिए पीसीएन रेंज को अधिसूचना दिनांक 06.06.2024 के अनुसार, "5.5-7" में संशोधित किया गया है जबकि जांच शुरूआत अधिसूचना में यह "7 माइक्रोन से कम" के रूप में परिभाषित है।

23. **अलॉय 8011, 8021 और 8079 की एल्युमिनियम फोइल** :- यह नोट किया जाता है कि अलॉय 8021 से बनी एल्युमिनियम फोइल वास्तव में "एलु एलु स्टॉक" है और प्राधिकारी ने पहले ही ऊपर दिए गए अनुरोधों की जांच की और समाधान किया है। अलॉय 8011 और 8079 की एल्युमिनियम फोइल के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एल्युमिनियम फोइल में, अधिकांश कच्ची सामग्री एल्युमिनियम ही होती है और एल्युमिनियम फोइल के रसायन में अलॉय का हिस्सा नगण्य होता है। विभिन्न उत्पादों में विभिन्न उत्पादक इन अलॉय का परस्पर उपयोग करते हैं, कतिपय विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए रसायन में बदलावा किया जाता है। अत: किसी भी उत्पाद प्रकार के लिए प्राप्त किए जाने वाले मापदंड और इसके लिए प्रयुक्त किए गए अलॉय, प्रत्येक उत्पादक के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। प्रतिवादियों ने कतिपय अलॉय पर एक सूक्ष्म अंतर बताया है जो किसी उत्पादक के लिए विशिष्ट उपयोग के हो सकते हैं और किसी उत्पाद प्रकार के लिए मानक विनिर्देशन/रसायन नहीं हो सकते हैं। जांच का दायरा अलॉय जैसे कुछ कारकों के इतने सूक्ष्म अंतर पर भिन्न नहीं हो सकता, खासकर तब जब एक ही पीयूसी के भीतर किसी भी उत्पाद प्रकार के लिए विभिन्न उत्पादकों द्वारा इसका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा हो। इस प्रकार, प्राधिकारी अलॉय 8011, 8021 और 8079 के एल्युमिनियम फोइल को बाहर रखने की आवश्यकता से सहमत नहीं है।

24. **अल्ट्रा-लाइट गेज फोइल** :- अल्ट्रा-लाइट गेज (यूएलजी) फोइल को बाहर करने के अनुरोध के संबंध में, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग यूएलजी फोइल का उत्पादन और बिक्री करता है और इसलिए यूएलजी फोइल को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

25. **6.3 माइक्रोन की अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमिनियम फोइल** :- हिंडाल्को द्वारा उत्पादित 6.3 माइक्रोन की अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमिनियम फोइल को बाहर करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक 6.3 माइक्रोन सहित विभिन्न मोटाई के यूएलजी के स्थापित उत्पादक हैं। घरेलू उत्पादकों के पास मांग को पूरी तरह से पूरा करने की क्षमता और गुणवत्ता की कमी के कारण बाहर करने का अनुरोध तथ्यों से रहित है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

26. 8 मई, 2024 को आयोजित पीयूसी-पीसीएन सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उद्योग से प्राप्त पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर विभिन्न टिप्पणियों की गहन जांच के बाद, प्राधिकारी ने पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे को स्पष्ट किया और 6 जून, 2024 की अधिसूचना (जिसे आगे "कार्य क्षेत्र अधिसूचना" कहा गया है) के माध्यम से इसे निम्नानुसार अधिसूचित किया था:

वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद नॉन-कैपेसीटर अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम की एल्यूमीनियम फोइल को छोड़कर 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फोइल है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है), इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए चीन जन. गण. से 5.5 माइक्रोन से कम की एल्यूमिनियम फोइल । कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन से कम की एल्यूमिनियम फोइल, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है। इसे विशेष रूप से "चीन जन. गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम की एल्यूमिनियम फोइल " के संबंध में की गई पाटनरोधी शुल्क की जांच से विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया था ।

ii. इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग के लिए अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड फोइल - अल्ट्रा लाइट

गेज कन्वर्टेड फोइल, एक एल्यूमिनियम फोइल है जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन होती है और इसे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ, चाहे प्लेन या मुद्रित, इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग के लिए बैक किया जाता है।

iii. *इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के लिए एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल - एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल, ऐसी एल्युमीनियम फोइल है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयोग होती है।*

iv. *पैकेड क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए लक्षित एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (प्राय: पीई) होता है जिसे पैकेड क्लैडिंग और साइनेज के प्रयोग के लिए एल्यूमीनियम की दो पतली परतों के बीच जोड़ा जाता है।*

v. *संगत गैर-क्लैडड एल्युमीनियम फोइल सहित क्लैड - संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फोइल के साथ क्लैड एल्युमीनियम सतह परत से निर्मित एक जंगरोधी एन्युमीनियम शीट होती है जिसे धात्विक रूप से उच्च मजबूती की एल्युमीनियम अलॉय की कोर सामग्री से जोड़ा जाता है ताकि उसे ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम में उपयोग किया जा सके जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।*

vi. *बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फोइल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फोइल, जिसकी सतह खुरदरी और छिद्रित होती है, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, बीयर की बोतल में प्रयोग की जाती है।*

vii. *एल्युमिनियम - मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड- पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक हो, जो रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उसके भागों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए टैरिफ शीर्ष 7607 के अंतर्गत आते हैं।*

viii. *अधेसिव टेप ।*

ix. *कलर कोटेड एल्युमिनियम फोइल ।*

x. *पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्यूमीनियम फोइल या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग पर विचार नहीं करते हुए।*

क्र.सं.	फोइल के प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर/ कन्वर्टेड	पीसीएन कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एलू एलू स्टॉक/ फोइल	45-60	बेयर फोइल	एएसबीएफ
2	हाउस फोइल/होम फोइल	8-22	बेयर फोइल	एचएफबीएफ
3	लाइट गेज (एलजी)	7- < 20	बेयर फोइल	एलजीबीएफ
4	मीडियम गेज (एमजी)	20-60	बेयर फोइल	एमजीबीएफ
5	सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी)	30-80	बेयर फोइल	एसआरबीएफ
6	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5- <7	बेयर फोइल	यूजीबीएफ
7	बैटरी फोइल	9-20	बेयर फोइल	बीएफबीएफ
8	कैपेसिटर	4.5 - 20	बेयर फोइल	सीएफबीएफ
9	*कोई अन्य बेयर फोइल (क्र..सं. 1-8 के अंतर्गत नहीं आती हो)		बेयर फोइल	ओएफबीएफ
10	सिगरेट फोइल	5.5-7	कन्वर्टेड	सीएफसीएफ
11	एलू एलू परिवर्तित / लेमिनेटेड	45-60	कन्वर्टेड	एएससीएफ
12	घर/घर फोइल परिवर्तित	8-22	कन्वर्टेड	एचएफसीएफ
13	एसआरसी परिवर्तित	30-80	कन्वर्टेड	एसआरसीएफ
14	मध्यम गेज (एमजी) परिवर्तित	20-60	कन्वर्टेड	एमजीसीएफ
15	लाइट गेज (एलजी) परिवर्तित	7-<20	कन्वर्टेड	एलजीसीएफ
16	बैटरी फोइल परिवर्तित	9-20	कन्वर्टेड	बीएफसीएफ
17	कोई अन्य परिवर्तित फोइल (क्र.सं. 10-16 के अंतर्गत नहीं आती हो)		कन्वर्टेड	ओएफसीएफ

27. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु का आयात भारत में निम्नलिखित कोडों

76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

28. इसके बाद घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया कि चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के विरुद्ध 2021 में संपन्न जांच की तुलना में वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का अतिव्यापन है। 18 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम फा. संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

"7. जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में नोट किया गया कि विचाराधीन उत्पाद, "एल्यूमीनियम फोइल है, चाहे वह मुद्रित हो या कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की पैकेजिंग सामग्री के साथ 80 माइक्रोन और उससे कम मोटाई (अनुमेय सहनशीलता के साथ) के साथ समर्थित हो" निम्नलिखित को छोड़कर:

i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाली एल्युमीनियम फोइल ।

ii. एलु एलु लैमिनेट- एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लैमिनेट, एक बहु-स्तरित अपारदर्शी लैमिनेट है, जहां एल्युमीनियम फोइल और दोनों तरफ अधेसिव के साथ प्लास्टिक फिल्म के साथ पैकिंग कैप्सूल/टैबलेट में उपयोग के लिए समर्थित है।

iii. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड- अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड एक एल्युमिनियम फोइल है जिसकी मोटाई 5.5, 6 माइक से 7 माइक होती है और इसे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ के साथ बैक किया जाता है, चाहे वह प्लेन हो या प्रिंटेड, जिसका उपयोग इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग अनुप्रयोगों में किया जाता है।

iv. एल्युमिनियम फोइल कम्पोजिट- एल्युमिनियम फोइल को क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ के साथ या पॉली एथिलीन के साथ या बिना लेमिनेट किया जाता है, चाहे वह प्रिंटेड हो या नहीं। तथापि, क्राफ्ट पेपर के साथ लेमिनेट

या बैक किया गया एल्युमिनियम फोइल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे में आता है।

v. *500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फोइल - कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फोइल 5 माइक्रोन गेज का एल्युमीनियम फोइल है जिसकी चौड़ाई 500 मिमी से कम 99.35 प्रतिशत शुद्धता होती है, जिसका इस्तेमाल रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिकल वेल्डर, मैग्नेटो, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, मर्करी वेपर स्ट्रीट लैंप, पावर ट्रांसमिशन उपकरण, इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल यूनिट और इसी तरह के अन्य सामान जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरणों में किया जाता है।*

vi. *एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल - एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल एल्युमीनियम फोइल है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।*

vii. *एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल- एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (प्राय: पीई) होता है जिसे पैकेड ग्लेजिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच जोड़ा जाता है।*

viii. *संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फोइल से कवर- संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फोइल से कवर एक जंगरोधी एल्युमीनियम शीट है, जो एल्युमीनियम की सतह परतों से निर्मित होती है, जो उच्च-शक्ति वाले एल्युमीनियम अलॉय कोर सामग्री से धातुकर्म द्वारा जुड़ी होती है, जिसका उपयोग मोटर वाहन उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणालियों में किया जाता है, जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।*

ix. *बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फोइल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फोइल, जिसकी सतह खुरदरी और छिद्रित होती है, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, बीयर की बोतल में उपयोग की जाती है।*

x. *एल्युमीनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड- पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी)*

सिस्टम और उसके पुर्जों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए टैरिफ शीर्ष 7607 के अंतर्गत आते हैं।

18. पूर्वोक्त के मद्देनज, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के दायरे का पैरा 7 और 15 निम्नानुसार है जिसे पैरा 7 और 15 के रूप में पढ़ा जाएगा:

"एल्युमीनियम फोइल, चाहे वह 80 माइक्रोन और उससे कम मोटाई (अनुमेय सहनशीलता के साथ) के कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकिंग सामग्री से मुद्रित या समर्थित हो या नहीं" निम्नलिखित को छोड़कर:

i. चीन के मूल 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई के एल्युमीनियम फोइल ।

ii. एलु एलु लेमिनेट

iii. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड

iv. एल्युमिनियम फोइल कम्पोजिट

v. 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फोइल

vi. एच्ड या निर्मित एल्युमिनियम फोइल

vii. एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल

viii. संगत नॉन क्लैड एल्युमिनियम फोइल के साथ क्लैड

ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमिनियम फोइल

x. एल्युमिनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड

xi. अधेसिव टेप

xii. रंग कोटेड एल्युमिनियम फोइल "

29. प्राधिकारी द्वारा 18 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर द्वारा जारी जांच परिणाम में ऊपर उल्लिखित अपवर्जनों के साथ "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्यूमीनियम फोइल" पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई। यह शुल्क 16 सितंबर, 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क

(एडीडी) के माध्यम से, चीन से 5 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से अधिक और 5.5 माइक्रोन तक के कैपेसिटर के लिए एल्यूमीनियम फोइल पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार इसे वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया था और अधिसूचना 06/35/2023 दिनांक 11 फरवरी 2025 के माध्यम से एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट किया गया था, जिसमें प्राधिकारी ने विशेष रूप से '5 माइक्रोन से कम और 5 माइक्रोन से अधिक और 5.5 माइक्रोन तक के कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फोइल' को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा था। इसलिए विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन इस प्रकार है:

वर्तमान सिफारिश में विचाराधीन उत्पाद 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फोइल है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है)। कैपेसीटरों के लिए 99.35 प्रतिशत शुद्धता वाली 500 मिमी. से कम चौड़ाई की 5 माइक्रोन की गेज की एल्यूमीनियम फोइल और कैपेसिटरों के लिए 80 माइक्रोन के 5.5 माइक्रोन से एल्यूमीनियम फोइल पीयूसी के दायरे में शामिल है:

निम्नलिखित पीयूसी के दायरे से बाहर हैं:

क. गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन से कम गेज की एल्यूमिनियम फोइल ।

ख. 5 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से अधिक और 5.5 माइक्रोन तक के कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फोइल। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कैपेसिटर के लिए 99.35 प्रतिशत शुद्धता वाली 500 मिमी से कम चौड़ाई वाली 5-माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फोइल और कैपेसिटर के लिए 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्युमिनियम फोइल को पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है।

ग. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड फोइल का उपयोग इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग एप्लीकेशन में किया जाता है - अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड फोइल एक एल्युमिनियम फोइल है जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन होती है जिसे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ

से बैक किया जाता है, चाहे वह सादा हो या प्रिंटेड हो, जिसका उपयोग इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और चाय बैग एप्लीकेशन में किया जाता है।

घ. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के लिए एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल - एच्ड या निर्मित एल्युमीनियम फोइल, एल्युमीनियम फोइल है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।

ङ. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल, जो फैकेड क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए है - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (प्रायः पीई) है जो एल्यूमीनियम की दो पतली परतों के बीच जुड़ा होता है, जिसका उपयोग फैकेड क्लैडिंग और साइनेज में किया जाता है।

च. संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फोइल के साथ क्लैड - संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फोइल के साथ क्लैड एक जंगरोधी एल्युमीनियम शीट है जो ऑटोमोटिव उद्योग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम में उपयोग के लिए उच्च-शक्ति एल्युमीनियम अलायॅ कोर सामग्री से धातुकर्म रूप से बंधे एल्युमीनियम सतह परतों से बनाई जाती है, जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

छ. बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फोइल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फोइल, जिसकी सतह खुरदरी और छिद्रित होती है, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, बीयर की बोतल में इस्तेमाल की जाती है।

ज. एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड- पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक, टैरिफ शीर्ष 7607 और 7606 के अंतर्गत आते हैं, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उसके भागों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए।

झ. अधेसिव टेप

ञ. रंग कोटेड एल्युमीनियम फोइल - या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग पर ध्यान दिए बिना।

ट. पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमीनियम फोइल - या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग पर ध्यान दिए बिना।"

क्र.सं.	फोइल के प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर / कन्वर्टेड	पीसीएन कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एलू एलू स्टॉक/फोइल	45-60	बेयर फोइल	एएसबीएफ
2	हाउस फोइल /होम फोइल	8-22	बेयर फोइल	एचएफबीएफ
3	लाइट गेज (एलजी)	7- < 20	बेयर फोइल	एलजीबीएफ
4	मीडियम गेज (एमजी)	20-60	बेयर फोइल	एमजीबीएफ
5	सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी)	30-80	बेयर फोइल	एसआरबीएफ
6	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5- <7	बेयर फोइल	यूजीबीएफ
7	बैटरी फोइल	9-20	बेयर फोइल	बीएफबीएफ
8	कैपेसिटर	500 मिमी से कम चौड़ाई पर केवल 5 माइक्रोन, 99.35 प्रतिशत शुद्धता और 5.5 माइक्रोन से अधिक 80 माइक्रोन तक	बेयर फोइल	सीएफबीएफ
9	कोई अन्य खाली फोइल (क्र.सं.1-8 के अंतर्गत नहीं आने वाली)		बेयर फोइल	ओएफबीएफ
10	सिगरेट फोइल	5.5-7	कन्वर्टेड	सीएफसीएफ
11	एलू एलू कन्वर्टेड / लैमिनेटेड	45-60	कन्वर्टेड	एएससीएफ
12	हाउस/होम फोइल कन्वर्टेड	8-22	कन्वर्टेड	एचएफसीएफ
13	एसआरसी कन्वर्टेड	30-80	कन्वर्टेड	एसआरसीएफ
14	मीडियम गेज (एमजी) कन्वर्टेड	20-60	कन्वर्टेड	एमजीसीएफ
15	लाइट गेज (एलजी) कन्वर्टेड	7-<20	कन्वर्टेड	एलजीसीएफ
16	बैटरी फोइल कन्वर्टेड	9-20	कन्वर्टेड	बीएफसीएफ
17	कोई अन्य कन्वर्टेड फोइल (एस.नं. 10-16 के अंतर्गत न आने वाला)		कन्वर्टेड	ओएफसीएफ

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं प्रयोग,

उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित वस्तु, नियमावली के अनुसार वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे एवं अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

31. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग का गठन करने वाले छह उत्पादकों को कोई उचित कारण बताए बिना स्वयं चयनित किया गया है।

ii. वर्तमान घरेलू उद्योग के साथ क्षति का कोई प्रतिनिधिक और निर्णायक आकलन संभव नहीं है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

32. आवेदकों ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. यह आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii. अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् ईएसएस डीईई एल्युमिनियम लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड और ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुत आवेदन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।

iii. जीएलएस ने पहले घोषित किया कि उसने जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी घोषणा एक त्रुटि थी। जीएलएस द्वारा आयातित उत्पाद एल्युमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) थे, जो पीयूसी के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री है।

iv. कानून में यह एक सुस्थापित स्थिति है कि वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति एक साथ हो सकती है।

v. आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

vi. आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक 'बड़ा हिस्सा' है और यह एडी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

34. वर्तमान आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। ये उत्पादक जांच अवधि में अनुमानित घरेलू उत्पादन का 50-60 प्रतिशत हिस्सा हैं।

35. मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शुरू में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के स्व-आयात की घोषणा की और बाद में स्पष्ट किया कि घोषणा गलत थी। इसने

एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद ("एफआरपी") का आयात किया, जो संबद्ध वस्तु की कच्ची सामग्री है। इसके संबंधित पक्षकार अर्थात् जीएलएस एलोपैक प्राइवेट लिमिटेड और जीएलएस फिल्म्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। ऐसे आयातों का विवरण प्रदान किया गया है और डीजी सिस्टम्स डेटा से स्वतंत्र रूप से जांच की गई है। यह नोट किया गया है कि संबंधित पक्षकारों द्वारा किया गया आयात समग्र और सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से नगण्य और महत्वहीन है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि चूंकि आयात नगण्य है, इसलिए यह आवेदक कंपनी की एडीडी नियमावली के अनुसार "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने की पात्रता को प्रभावित नहीं करता है।

36. शेष आवेदक कंपनियों ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।

37. उपर्युक्त छह कंपनियों द्वारा दायर आवेदन का निम्नलिखित कंपनियों द्वारा समर्थन दिया गया है:

i. ईएसएस डीईई एल्युमिनियम लिमिटेड
ii. स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड
iv. ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

38. प्राधिकारी ने अन्य घरेलू उत्पादकों को ऐसी जांच की शुरूआत के बारे में उन्हें सूचित करते हुए पत्र भेजा। तथापि, इन अन्य उत्पादकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

39. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना तथा उपर्युक्त मुद्दों की जांच के मद्देनजर, प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस प्रकार, आवेदन एडीडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

40. अन्य किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

41. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) अनेक प्रतिवादियों ने संबद्ध कंपनियों, शेयरधारकों के नाम, कंपनी के विवरण जैसे टेलीफोन और फैक्स नंबर का प्रकटन नहीं किया है।

ii) नमूना घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेजों का प्रकटन नहीं किया गया है। यद्यपि दस्तावेज स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, तथापि प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का प्रकटन नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

43. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

"7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपपाटनरोधी(2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस

सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

44. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. <u>विविध मुद्दे</u>

45. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए। उत्पादकों और निर्यातकों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्राधिकारी ने नियम 17(3) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान जांच में नमूना पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया। प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर तीन कंपनियों को अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए चुना गया। प्राधिकारी ने 13 अगस्त, 2024 को ई-मेल के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को तीन कंपनियों और उनके संबद्ध निर्यातकों तथा संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के चयन के बारे में सूचित

किया ताकि अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सके। चयन, जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तथा अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए जांचे जा सकने वाले उत्पादकों की संख्या की व्यवहार्यता के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी ने नमूना उत्पादकों के चयन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां भी आमंत्रित कीं तथा प्राप्त टिप्पणियों को संबद्ध देश से नमूना उत्पादकों/निर्यातकों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा गया।

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

46. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

i) जियांग्सू फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया कि कंपनी को नमूना उत्पादकों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने कुल संबद्ध आयातों में *** प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकतम मात्रा का निर्यात किया है और यह एकमात्र निर्यातक है जिसने जांच अवधि में अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर एल्युमिनियम फोइल की आपूर्ति की है।

ii) जियांग्सू झोंगजी लेमिनेशन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और ज़ियामेन शियाशुन एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया कि इन कंपनियों के साथ-साथ उनकी संबंधित कंपनियों और संबद्ध निर्यातकों को नमूना उत्पादकों की सूची में शामिल किया जाए।

iii) हेनान मिंगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने इस आधार पर इसे शामिल करने का अनुरोध किया कि इसकी संबंधित इकाई ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

iv) नियम 17(3) नमूना उत्पादकों के रूप में हितबद्ध पक्षकारों की 'तर्कसंगत संख्या' के चयन की अनुमति देता है और वर्तमान जांच को केवल 3 नमूना उत्पादकों तक सीमित करना अनावश्यक है।

v) विगत में प्राधिकारी ने जूट उत्पादों जैसे जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और सिंगल), हेसियन फैब्रिक तथा बांग्लादेश और नेपाल से जूट सेकिंग बैग,

साथ ही चीन जन. गण., ताइवान और मलेशिया से मॉड्यूल में असेंबल किए गए या नहीं, सौर सेल जैसे मामलों में नमूना लेने के लिए 10 उत्पादकों को चुना है।

vi) झोंगजी समूह और शियाशुन समूह ने तर्क दिया कि उनके द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु अन्य उत्पादकों द्वारा संबद्ध देश से आपूर्ति की गई साधारण एल्युमीनियम फोइल से भिन्न है, क्योंकि इन कंपनियों ने विशेषीकृत एसेप्टिक फोइल की आपूर्ति की है।

vii) प्राधिकारी को न केवल निर्यात मात्रा पर विचार करना चाहिए, बल्कि भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की प्रकृति या उत्पाद प्रकार पर भी विचार करना चाहिए।

viii) केवल कुछ वैश्विक आपूर्तिकर्ता जैसे झोंगजी समूह और शियाशुन समूह ही अपेक्षित विनिर्देशनों के साथ एल्युमीनियम फोइल की आपूर्ति कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को 6.3 माइक्रोन और 9 माइक्रोन की अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमीनियम फोइल की आवश्यकता होती है, जिसकी चौड़ाई 1650 मिमी तक हो और साथ ही अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन भी करना होता है।

ix) भारत में घरेलू उद्योग की सीमाएं हैं और वह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यदि प्रतिवादियों को अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जाता है तो उन्हें घाटा होगा।

x) पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) का दूसरा पारंतुक उन उत्पादकों के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने की संभावना प्रदान करता है, जिनका नमूना नहीं लिया गया है, यदि ऐसी जांच बोझिल नहीं है और यदि ऐसे उत्पादक ने आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की है।

xi) आवेदन के समय आवेदकों द्वारा नमूना पद्धति के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था, न ही जांच शुरूआत अधिसूचना में नमूना पद्धति के प्रयोजनार्थ निर्यातकों द्वारा मात्रा और मूल्य की जानकारी प्रस्तुत करने का कोई अनुरोध शामिल था।

xii) नमूना पद्धति करने का निर्णय घरेलू उद्योग द्वारा दायर किसी भी अनुरोध पर आधारित नहीं है और यह अनुचित और विलंबित है।

xiii) कुनशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए पीयूसी की पर्याप्त मात्रा और इसलिए यदि नमूना समूह में शामिल नहीं है, तो यह कुल आयात का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

xiv) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह प्रत्येक नमूना इकाई द्वारा निर्यात किए गए पीसीएन की श्रेणी को सत्यापित और प्रलेखित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीयूसी के भीतर उत्पाद श्रेणियों को अनजाने में बाहर नहीं रखा गया है या कम प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

xv) कुनशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड की सीआईएफ कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए आयातों के औसत सीआईएफ मूल्य से अधिक हैं और इसलिए यह प्रमाणित करता है कि नमूना पद्धति गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के हितों के लिए हानिकारक होगी।

xvi) नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के कम कीमत वाले निर्यात के कारण पाटन मार्जिन अधिक होगा, जिससे शुल्क अधिक लगेगा। आयातकों और प्रयोक्ताओं को एफआरपी के साथ-साथ संबद्ध वस्तु के आयात पर मौजूदा शुल्कों का भार उठाना होगा।

xvii) चीन जन. गण. से रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स पर हाल ही में संपन्न मामले में प्राधिकारी ने 28 प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के साथ भी नमूना पद्धति नहीं की और प्राधिकारी पर कोई अनुचित भार नहीं है।

xviii) डिंगशेंग समूह को नमूना समूह का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि निर्यात की मात्रा अधिक है और एकमात्र जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड का निर्यात कुछ नमूना उत्पादकों की तुलना में अधिक है।

xix) प्राधिकारी ने पूर्व में सोलर सेल और ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड, पोर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइल्स के मामले में नमूना पद्धति के उद्देश्य से संबंधित उत्पादकों के साथ-साथ संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों को एक इकाई के रूप में माना है।

xx) विभिन्न जांचों के माध्यम से शुल्क लंबे समय तक लागू रहे हैं।

xxi) चूंकि वित्त मंत्रालय ने एल्युमिनियम फोइल पर पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क नहीं लगाया था, इसलिए अगले पांच वर्षों तक कोई नई सिफारिश जारी नहीं की जानी है। यदि ऐसी सिफारिश जारी की जाती है तो यह वित्त मंत्रालय के निर्णय की अवहेलना का संकेत होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता और पूर्वानुमान नहीं करने को बढ़ावा देगा।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

47. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) 14 कंपनियों ने हितबद्ध पक्षकार की सूची के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जो अलग निर्धारण की अनुमति देने के लिए एक अधिक संख्या है।

ii) कतिपय पक्षकारों द्वारा निर्यात की कम मात्रा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनके उत्पाद ब्यौरे और निर्यात की प्रवृत्ति, उत्पाद ब्यौरा और समय अवधि दोनों के संदर्भ में भारत में निर्यात को नहीं दर्शाते हैं।

iii) पूर्व में, चीन के उत्पादकों, जिनकी जांच अवधि में नगण्य निर्यात मात्रा थी, ने अलग रूप में कम शुल्क मिलने के बाद भारतीय बाजार में आपूर्ति बढ़ा दी।

iv) नमूना पद्धति में वैश्विक मानदंड अधिकतम तीन कंपनियों पर विचार करना है:

- भारत से सिरेमिक टाइलों में, यूरोप ने मूल रूप से दो कंपनियों पर विचार किया और नंबर 3 पर कंपनी के प्रतिनिधित्व के बावजूद नमूना आकार को तीन कंपनियों तक बढ़ाने से मना कर दिया।
- कनाडा से वुड पल्प, एमओएफसीओएम ने नंबर 3 पर कंपनी के लिए पाटन मार्जिन को अलग रूप से निर्धारित करने से मना कर दिया, यद्यपि पहले तीन स्थानों पर कंपनियां लगभग समान मात्रा में निर्यात कर रही थीं।

- सिरेमिक टाइल्स और सैनिटरीवेयर में, जीसीसी ने तीन कंपनियों का नमूना लिया जबकि 2 कंपनियों को आरक्षित रखा, जैसा कि जीसीसी में प्रक्रिया का मानक है।
- यूएसए दो से अधिक कंपनियों को 'अनावश्यक रूप से बोझिल' मानता है। भारत से क्वार्ट्ज सतह के मामले में विचाराधीन 50 कंपनियों में से केवल दो कंपनियों के लिए पाटन मार्जिन की जांच और निर्धारण किया गया था, जिसके परिणाम अन्य पर लागू किए गए थे।

v) स्वैच्छिक आधार पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है।

vi) आवश्यक ग्रेड या विशेष उत्पादों का निर्यात नमूना समूह में शामिल किए जाने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी आपूर्ति यह संकेत देगी कि कंपनी का उत्तर और आकड़े प्रतिवादी कंपनियों और चीन जन. गण. से आयात का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी मानते हैं कि चीन जन. गण. से बड़ी संख्या में उत्पादकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

49. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने इस जांच में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

i. डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
ii. जियांगसू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड
iii. हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
iv. हांग्जो डिंगशेंग आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
v. इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
vi. जियांगसू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
vii. जियांगसू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कंपनी (एचके) लिमिटेड
viii. लुओयांग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
ix. लोंगडिंग ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
x. सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xi. शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड
xii. शांगडोंग डेली एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xiii. एटीईसी न्यू मैटेरियल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
xiv. टेट्रा पाक बीजिंग कंपनी लिमिटेड
xv. टेट्रा पाक ग्लोबल सप्लाई एसए
xvi. टेट्रा पाक जुरोंग प्राइवेट लिमिटेड
xvii. ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड
xviii. डचिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड

xix. पेइक्सियन फ़ेंगयुआन आयात और निर्यात व्यापार कंपनी लिमिटेड
xx. जियांग्सू फ़ेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xxi. हेनान मिंगशेंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xxii. हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
xxiii. लुओयांग वानजी एल्युमिनियम प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड
xxiv. कुशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

50. चूंकि प्रतिवादी उत्पादकों की संख्या अधिक है इसलिए मामले का विश्लेषण इस संबंध में किया गया है कि क्या प्राधिकारी को अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए विदेशी उत्पादकों के नमूने को अपनाना चाहिए।

51. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि प्राधिकारी उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, ऐसी स्थिति में जहां बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी सीमित संख्या में उत्पादकों तक उत्तर को सीमित करके नमूना पद्धति को अपना सकते हैं। इस संबंध में नियमावली में निम्नानुसार प्रावधान है:

"17(2)(iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात संबंधित निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन का एक अलग मार्जिन निर्धारित करेगें:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या शामिल वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो, वह अपने निष्कर्षों को या तो चयन के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की तर्कसंगत संख्या तक सीमित कर सकता है, या संबंधित देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक सीमित कर सकता है जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है और इस पारंतुक के अंतर्गत किए गए निर्यातकों, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकारों का कोई भी चयन अधिमानतः संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों के परामर्श और उनकी सहमति से किया जाएगा: आगे यह भी प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन का एक अलग मार्जिन निर्धारित करेगा, यद्यपि शुरू में

चयनित नहीं हैं, जो समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं, इसे छोड़कर कि जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है कि अलग-अलग जांच अनावश्यक रूप से बोझिल होगी और जांच के समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न करेगी।"

52. प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात की मात्रा पर विचार किया। प्राधिकारी ने संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात पर भी विचार किया। यह देखा गया है कि इन उत्पादकों द्वारा सीधे या संबंधित या असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात और इन उत्पादकों से संबंधित चीन के उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात पर विचार करने के बाद, जिन कंपनियों को नमूना कंपनियों के रूप में अधिसूचित किया गया था, वे भारत को निर्यात की सर्वाधिक मात्रा रखती हैं।

53. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने पूर्व में अन्य जांच में बहुत अधिक संख्या में उत्पादकों या निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का अलग निर्धारण किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में काफी संख्या में उत्पादकों की जांच किए जाने का यह तथ्य यह नहीं दर्शाता है कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में नमूना पद्धति को अपनाने से प्रतिबंधित किया गया है।

54. नमूना उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले निर्यातकों को शामिल करने के अनुरोध के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उन सभी कंपनियों को शामिल किया है जो नमूना कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक रहे हैं।

55. जहां तक नमूना उत्पादक से संबद्ध उत्पादकों को शामिल करने के अनुरोध का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उन सभी कंपनियों को शामिल किया है जो नमूना कंपनी से संबद्ध उत्पादक हैं।

56. जहां तक इस आधार पर शामिल करने के अनुरोध का संबंध है कि कंपनी ने विशिष्ट उत्पाद की आपूर्ति की है या नमूने का हिस्सा बनने वाले उत्पाद ब्यौरे को व्यापक होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 17(3) के अंतर्गत ऐसा कोई दायित्व नहीं है।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विशेष ग्रेड की आपूर्ति का तथ्य अलग निर्धारण के लिए ऐसी कंपनी को शामिल करने का औचित्य नहीं बनता है।

58. यह नोट किया जाता है कि नमूना पद्धति नियम विशेष रूप से प्राधिकारी को अनेक उत्पाद प्रकारों तक अलग निर्धारण को सीमित करने की अनुमति देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकारी किसी नमूने पर इस तरह से विचार करें कि भारत को आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद नमूने में शामिल हो जाएं। वास्तव में, इस तरह के किसी भी तर्क का अर्थ यह है कि प्राधिकारी सीमित संख्या में उत्पाद प्रकारों पर विचार करके नमूना पद्धति को नहीं अपना सकते हैं। तथापि, नियम 17 विशेष रूप से प्राधिकारी को सीमित संख्या में उत्पाद प्रकारों तक व्यक्तिगत निर्धारण को सीमित करने की अनुमति देता है।

59. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह माना जाता है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या पाटन मार्जिन के अलग निर्धारण की अनुमति देने के लिए अतर्कसंगत रूप से अधिक है। इसके अलावा, यह माना जाता है कि अलग निर्धारण के लिए उत्पादकों की संख्या केवल तीन उत्पादकों और उनके सभी संबद्ध निर्यातकों तक सीमित होनी चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का अलग निर्धारण निम्नलिखित कंपनियों और उनके संबंधित/संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों तक सीमित कर दिया गया है।

क. सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ख. हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

ग. डिंगशेंग ग्रुप

60. प्राधिकारी डिंगशेंग ग्रुप के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि निर्यात की मात्रा कुछ नमूना उत्पादकों की तुलना में अधिक है। निर्यात मात्रा की पुन: जांच की गई है, यह पाया गया था कि डिनशेंग ग्रुप के अन्य संबंधित उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया गया था, जिन्हें नमूना पद्धति के उद्देश्य से पहले के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया था।

61. तदनुसार, प्राधिकारी ने सभी नमूना उत्पादकों को अलग पाटन मार्जिन प्रदान किया है। गैर-नमूना उत्पादकों के लिए नमूना उत्पादकों का भारित औसत पाटन मार्जिन प्रदान किया गया है। गैर-नमूना उत्पादक निम्नानुसार हैं:

i. जियांग्सू झोंगजी लेमिनेशन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
ii. लुओयांग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
iii. शांगडोंग डेली एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iv. ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्युमिनियम फ़ॉयल कंपनी लिमिटेड
v. जियांग्सू फ़ेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
vi. लुओयांग वानजी एल्युमिनियम प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड
vii. कुनशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

62. कुछ निर्यातकों ने तर्क दिया है कि उन्हें भी नमूने में चयनित जाना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 'नमूना पद्धति' प्रावधान, प्राधिकारी को दो तरीकों में से एक में 'उनकी जांच को सीमित करने' के लिए अधिकृत करता है: (i) 'चयन के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके हितबद्ध पक्षकारों या उत्पादों की तर्कसंगत संख्या तक', या (ii) 'संबंधित देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए तीन (3) उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों का चयन किया है। इसके अलावा पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि चयनित उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए किसी विशेष सीमा प्रतिशत की आवश्यकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए तीन उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों का चयन किया है।

63. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जब वित्त मंत्रालय ने निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों का समय नहीं बढ़ाया था तो पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह के दावे के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक नई पाटनरोधी जांच है, जो निर्णायक समीक्षा जांच में मानी गई एक अलग अवधि को कवर करती है। पाटनरोधी नियमावली किसी

समनकारी अवधि के लिए प्रावधान नहीं करती है, जिसमें एक पीड़ित पक्षकार को व्यापार उपचारात्मक उपायों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है कि वर्तमान जांच करने से प्राधिकारी वित्त मंत्रालय के निर्णय की अवहेलना करेंगे। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया संतुष्ट होने के बाद संबद्ध जांच शुरू की है कि चीन जन. गण. पर उपायों की समाप्ति से आयात में वृद्धि हुई है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

छ. <u>पाटन का आकलन तथा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

64. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) प्रत्येक पीसीएन के अलग पाटन मार्जिन का औसत निकालने से गलत परिणाम निकलेंगे क्योंकि कुछ प्रकार की तकनीकी फोइल की कीमत इसकी गुणवत्ता और निष्पादन के कारण अधिक है। भारी अंतर के मामले में, मद-वार पाटन मार्जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

ii) चीन को एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

65. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) चीन जन. गण. को विगत मामलों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई स्थिति और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुरूप एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ii) प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-I के पैरा 1-6 को केवल तभी अपनाएंगे यदि चीन की प्रतिवादी कंपनियां यह सिद्ध कर दें कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन की प्रतिवादी कंपनियां यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी को अपनाया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देंगे।

iii) नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 चीन जन. गण. से आयात के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए लागू नहीं होते हैं, जब तक कि कोई उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य के साथ यह नहीं दर्शाता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

iv) चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण के अंतर्गत प्रचालनरत कंपनियों के रूप में माना जाना आवश्यक है और प्राधिकारी अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

v) अंत में, आवेदकों ने उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य की भी गणना की अर्थात भारत में घरेलू उद्योग की लागतों पर विचार करते हुए तर्कसंगत लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद विधिवत समायोजित किया गया।

vi) डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों की अनुपलब्धता के मद्देनजर बाजार आसूचना स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उचित तुलना के उद्देश्य से पारम्परिक आधार पर कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

vii) दर्शाई गई सामान्य मूल्य गणनाओं पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन की गणना की गई है। इस प्रकार परिकलित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक हैं, बल्कि काफी अधिक भी हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

66. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के अंतर्गतबनाए गए पाटनरोधीके अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधीके अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधीके अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

67. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उचित राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी।

68. संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को निम्नानुसार निर्धारित किए जाने है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य

69. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

"(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

i. यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

ii. आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

iii. एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

iv. आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

v. आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

70. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध-I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण,

उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदकों द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत जानकारी बाजार द्वारा संचालित है तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

71. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

72. जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने एसजीए और लाभ की उचित योग के साथ संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की थी। जांच की शुरूआत प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर दें और अपने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह चीन जन. गण. में उत्पादकों निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दें।

73. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य के लिए प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं तथा चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

74. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में प्रावधान है :

> *"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"*

75. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्धारित करता है तथा यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है, जिसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित किया गया हो। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 7 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से भारत

में आयातों लागू पाटनरोधी शुल्क कम राशि में है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

76. इसलिए, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" के रूप में किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उचित जोड़ शामिल है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

क) डिंगशेंग ग्रुप (नमूनाकृत)

मेसर्स जियांगसू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड, ("जियांगसू डिंगशेंग"),

मेसर्स हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ("हांग्जो फाइव स्टार")

मेसर्स। इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मैटेरियल कंपनी लिमिटेड ("इनर मंगोलिया")

मेसर्स डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ("डिंगशेंग एचके")

मेसर्स हांग्जो डिंगशेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ("डिंगशेंग आई एंड ई")

77. मेसर्स जियांगसू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड ("जियांगसू डिंगशेंग"), इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मैटेरियल कंपनी लिमिटेड ("इनर मंगोलिया") और मेसर्स हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ("हांग्जो फाइव स्टार") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल संबंधित कंपनियां हैं। जियांगसू डिंगशेंग, इनर मंगोलिया और हांग्जो फाइव स्टार ने संबंधित व्यापारिक कंपनियों, मेसर्स हांग्जो डिंगशेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ("डिंगशेंग आई एंड ई") और मेसर्स डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

("डिंगशेंग एचके") के माध्यम से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। जियांग्सू डिंगशेंग ने भी संबद्ध वस्तु की कुछ मात्रा सीधे भारत को निर्यात की है। सभी पांच कंपनियों अर्थात् जियांग्सू डिंगशेंग, इनर मंगोलिया, हांग्जो फाइव स्टार, डिंगशेंग आई एंड ई और डिंगशेंग एचके ने संगत पीसीएन वार जानकारी के साथ-साथ निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में संगत जानकारी प्रदान की है।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड ("जियांग्सू डिंगशेंग") चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक है। इसने जांच अवधि के दौरान भारत को सीधे *** एमटी और डिंगशेंग आई एंड ई के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी और डिंगशेंग एचके के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी का निर्यात किया है।

79. इसी प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड ("हांग्जो फाइव स्टार") चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। इसने जांच अवधि के दौरान डिंगशेंग आई एंड ई के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी और डिंगशेंग एचके के माध्यम से *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा, इनर मंगोलिया ने जांच अवधि के दौरान डिंगशेंग एचके के माध्यम से *** एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। ये सभी निर्यात भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को किए गए थे।

80. उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, बैंक शुल्क और ऋण लागत जैसे समायोजन का दावा किया है और अंतिम निष्कर्षों के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है। निर्धारित कारखाना-बाहर निर्यात मूल्य डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख) सुनहो समूह (नमूनाकृत)

मेसर्स सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("सुनहो न्यू मैटेरियल्स")

मेसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फोइल कंपनी लिमिटेड ("शंघाई सुनहो")

81. सुनहो न्यू मैटेरियल्स और शंघाई सुनहो चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं। सुनहो न्यू मैटेरियल्स ने अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक शंघाई सुनहो के माध्यम से भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। शंघाई सुनहो ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिनमें उसकी स्वयं और सुनहो न्यू मैटेरियल्स द्वारा विनिर्मित वस्तुएं भी शामिल हैं।

82. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान, मेसर्स सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक, शंघाई सुनहो के माध्यम से भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को *** एमटी संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है।

83. शंघाई सुनहो ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** एमटी संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है। शंघाई सुनहो और सुनहो न्यू मैटेरियल्स ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में संगत पीसीएन वार जानकारी प्रदान की है।

84. यह भी नोट किया जाता है कि शंघाई सुनहो ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की थोड़ी मात्रा का निर्यात किया है, जो अन्य असंबंधित चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विनिर्मित की गई थी। इन अन्य असंबंधित चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने कारखानाद्वार निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य निर्धारित करने के लिए भारत को केवल उन निर्यात सौदों पर विचार किया है जो शंघाई सुनहो और सुनहो न्यू मैटेरियल्स द्वारा विनिर्मित थे।

85. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिन्हें विस्तृत सत्यापन के अधीन अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमति देना है। निर्धारित किए जाने के लिए कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

86. तदनुसार, निम्नलिखित समायोजनों को अनुमति देने के बाद कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित किए जाने का है - समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभार । निर्धारित किए जाने के लिए निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेखित है।

ग) मिंगताई समूह (नमूनाकृत)
मेसर्स हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
मेसर्स हेनान मिंगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

87. मेसर्स हेनान मिंगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("हेनान मिंगशेंग") और मेसर्स हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ("मिंगताई टेक्नोलॉजी") संबद्ध देश में उत्पादक और निर्यातक हैं और उन्होंने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में संगत जानकारी प्रदान की है।

88. हेनान मिंगशेंग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार यह नोट किया गया है कि इसने जांच अवधि के दौरान मेसर्स हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है।

89. इसी प्रकार, यह नोट किया जाता है कि मेसर्स हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ("मिंगताई टेक्नोलॉजी") ने जांच अवधि के दौरान सीधे भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है।

90. प्राधिकारी ने देखा है कि निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा और डीजी सिस्टम आंकड़ों में सूचित मात्रा तुलनीय है। तदनुसार, निम्नलिखित समायोजनों को अनुमति देने के बाद कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत करने का प्रस्ताव है - समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभार । इस प्रकार निर्धारण के लिए निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ङ). असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

91. प्राधिकारी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, संभलाई प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए जाने का है। इस प्रकार निर्धारित की जानी वाली प्रस्तावित निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

92. प्राधिकारी ने पीसीएन वार पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए भारत को पीसीएन वार कारखानाद्वार निर्यात कीमत की तुलना संगत पीसीएन वार सामान्य मूल्य से की है। नीचे दी गई तालिका में जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात किए गए पीसीएन को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों के भारित औसत कारखानाद्वार निर्यात कीमत, भारित औसत सामान्य मूल्य और भारित औसत पाटन मार्जिन को दर्शाया गया है।

क. उत्पादकों/निर्यातकों की गैर-नमूनाकृत सहयोगी श्रेणी

93. प्राधिकारी नमूनाकृत श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग पाटन मार्जिन के आधार पर मूल्यांकित भारित औसत पाटन मार्जिन पर विचार करते हैं। यह भारित औसत पाटन मार्जिन संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों की गैर-नमूनाकृत श्रेणी को प्रदान किया गया है तथा नीचे दी गई तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

ख. संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

94. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में मानना तथा इस प्रकार उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन निर्धारित करना प्राधिकारी की एक संगत परिपाटी रही है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग

पाटन मार्जिन की गणना करने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम अलग पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को भेजने में सक्षम बनाकर शुल्क को निष्प्रभावी किया जा सकता है।

95. उपर्युक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में माना है और उन्हें एक एकल पाटन मार्जिन दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका परिकलन सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर किया गया है।

96. ऊपर यथा स्पष्ट, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह निर्धारित करने है कि पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

कंपनी	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**	
	यूएस डॉलर/एमटी	**यूएस डॉलर/एमटी**	**यूएस डॉलर/एमटी**	**%**	**रेंज**
हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	10-20
हेनान मिंगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.					
सनहो न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	10-20
शंघाई सनहो एल्युमिनियम फोइल कं. लि.					
जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कंपनी लिमिटेड					

हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड					
गैर नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	10-20
असहयोगी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ज. <u>क्षति</u> और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अुनरोध

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रयोक्ताओं के लिए पर्याप्त रही है।

ii) पीसीएन आंकड़ों से पता चलता है कि आयात किए जा रहे उत्पादों के लिए कीमत में गिरावट नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पाद प्रकार सीधे आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।

iii) घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए कीमत प्रभाव भारतीय उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हो सकते हैं न कि आयात की पहुंच कीमत के कारण। कीमत प्रभाव के पीछे वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए प्राधिकारी को भारतीय उत्पादकों की कीमत संबंधी सूचना की जांच करनी चाहिए।

iv) घरेलू उद्योग ने कीमत और मात्रा दोनों मापदंडों पर अच्छा निष्पादन किया। जांच अवधि के दौरान क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री जैसे मात्रा मापदंडों में वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है और भारतीय प्रयोक्ता भारतीय उत्पादकों से खरीद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांच अवधि के दौरान और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में क्षमता में वृद्धि भी की गई थी।

v) घरेलू उद्योग का लाभ प्रचालन स्तर पर अच्छा रहा है। नकद लाभ हुआ था और जांच अवधि के दौरान रोजगार स्तर में वृद्धि हुई थी। आवेदक क्षति दर्शाने में विफल रहे हैं।

vi) प्राधिकारी को एनआईपी की गणना करते समय कम आरओसीई पर विचार करना चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तु का घरेलू तौर पर व्यापक रूप से उपयोग किया

जाता है। व्यापक सार्वजनिक हित में एडीडी संचालित मुद्रास्फीति से बचा जाना चाहिए।

vii) प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीसीएन से बाहर रखी गई 9 वस्तुओं की आयात मात्रा को चीन से आयातित फोइल की कुल मात्रा से घटाया जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि जांच के दौरान अधिक वस्तुओं को बाहर रखे जाने पर आयात की कुल मात्रा को संशोधित/कम किया जाए।

viii) ईओयू, एसईजेड और अग्रिम शुल्क मुक्त लाइसेंस के माध्यम से आयातित मात्रा को घटाया जाना चाहिए क्योंकि इन आयातों को बीआईएस अपेक्षाओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

ix) यद्यपि घरेलू उद्योग ने भारी नुकसान और गंभीर क्षति का दावा किया है, परंतु याचिका में इसे नहीं दर्शाया गया है।

x) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कच्ची सामग्री की कीमतों में संगत गिरावट के साथ गिरावट आनी चाहिए।

xi) ऋणात्मक पीबीटी क्षति अवधि के दौरान मूल्यह्रास और ब्याज लागत में भारी वृद्धि के कारण हुआ है और आयातों के कारण नहीं ।

xii) घरेलू उद्योग लगातार बाजार हिस्सा प्राप्त कर रहा है, जो कि घरेलू उद्योग द्वारा हाल ही में उत्पादन शुरू किए जाने पर विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

xiii) घरेलू उद्योग कीमत संबंधी मंदी से ग्रस्त नहीं है, जैसा कि इसकी कीमतों में लगातार और पर्याप्त वृद्धि से स्पष्ट होता है।

xiv) लागत में वृद्धि को बिक्री कीमत की वृद्धि ने पछाड़ दिया है, जिससे लाभप्रदता में सुधार हुआ है, जैसा कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के नकद लाभ में वृद्धि से स्पष्ट होता है।

xv) घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में केवल कुल क्षमता में लागतार वृद्धि के कारण निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह कुल भारतीय मांग में वृद्धि से अधिक है। इस प्रकार, बाजार हिस्से पर किसी भी कथित प्रभाव का मूल्यांकन घरेलू उत्पादकों के बीच बढ़ी हुई परस्पर प्रतिस्पर्धा के आलोक में किया जाना चाहिए।

xvi) संबद्ध आयातों की बाजार हिस्से में वृद्धि घरेलू उत्पादन के विस्थापन के बजाय अन्य देशों के कम होते हिस्से के कारण हो सकती है।

xvii) प्रति दिन, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि तथा वेतन और मजदूरी में वृद्धि के साथ-साथ डीआई के कार्यबल में दो गुना से अधिक विस्तार हुआ है।

xviii) नए प्रवेशकों के कारण मालसूची में वृद्धि विषम है और इसलिए यह त्रुटिपूर्ण प्रतिनिधित्व है।

xix) घरेलू उद्योग ने प्रभावी रूप से अनुरोध किया है कि वास्तविक मंदी के साथ-साथ वास्तविक क्षति का भी आकलन किया जाए क्योंकि घरेलू उद्योग में 6 उत्पादकों में से चार नए हैं। प्राधिकारी वास्तविक क्षति के साथ-साथ वास्तविक मंदी का आकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अंतर्निहित रूप से विरोधाभासी होगा।

xx) घरेलू उद्योग के उत्पाद में गुणवत्ता की कमियों की सूचना दी गई है, जिससे यह भेषज अनुप्रयोगों और एसेप्टिक पैकेजिंग में उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है।

xxi) कच्ची सामग्री पर शुल्क लगाया जाता है जिसका आयात स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है, जिससे एक अस्थिर लागत संरचना बनती है।

xxii) एल्युमीनियम और एल्युमीनियम अलॉय उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 में फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों में प्रयुक्त फोइल के लिए आईएस 16011:2012 के अनुपालन को अनिवार्य किया गया है और यह नियामक परिवर्तन चीन सहित कतिपय देशों से आयात को प्रतिबंधित करेगा।

xxiii) लगाए गए किसी भी शुल्क के बावजूद आयात लगातार बना रहा, यह दर्शाता है कि आयात मांग - आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए है।

xxiv) चीन जन. गण. ने 01.12.2024 से प्रभावी 13 प्रतिशत निर्यात कर छूट को रद्द कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जिससे अनंतिम क्षति मार्जिन निष्प्रभावी हो गया है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

98. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

i) जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। मई, 2022 में शुल्क समाप्त होने के बाद से संबद्ध देश से

आयात में अचानक वृद्धि हुई है। भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में भी आयात में वृद्धि हुई है।

ii) 2015 से मौजूदा और नए उत्पादकों द्वारा क्षमताओं में वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादकों के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं और इतनी बड़ी मात्रा में आयात आवश्यक नहीं है।

iii) चीन जन. गण. से आयात की पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। कीमत कटौती सकारात्मक है।

iv) जांच अवधि में बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक है और इससे जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

v) जांच अवधि में आयात उन कीमतों पर किए गए जो बिक्री लागत के स्तर से थोड़े अधिक थे परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थे। आयात के परिणामस्वरूप आवेदक घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी अधिक ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

vi) क्षति अवधि में स्थापित क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, ये स्तर विशेष रूप से क्षमता वृद्धि पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के अभाव में प्राप्त की गई क्षमता से बहुत कम हैं। जांच अवधि में यदि आवेदकों ने आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए अपनी कीमतों को कम नहीं किया होता तो उत्पादन, उपयोग और परिणामी बिक्री की प्रवृत्तियों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होता।

vii) क्षति अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यद्यपि यह नई क्षमता वृद्धि के कारण अतिरिक्त है, परंतु घरेलू उद्योग को क्षमता उपयोग में इस गिरावट का सामना नहीं करना पड़ता यदि चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन नहीं किया गया होता।

viii) संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा जांच अवधि में काफी बढ़ गया है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लगभग 2 गुना हो गया है।

ix) बढ़ती हुई क्षमताओं और नए उत्पादकों के प्रवेश के बावजूद, घरेलू उद्योग और समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा जांच अवधि में कम हुआ है।

x) जांच अवधि से पूर्ववर्ती वर्ष में पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओआई में वृद्धि हुई, परंतु उसके बाद इसमें गिरावट आई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग को पुन: वित्तीय घाटा हुआ।

xi) क्षति अवधि के दौरान रोजगार, वेतन और मजदूरी तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

xii) इस अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी वेतन में गिरावट आई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान उत्पादन की प्रति इकाई वेतन और मजदूरी में भारी गिरावट आई है। तथापि, उत्पादन की प्रति इकाई वेतन और मजदूरी लागत में गिरावट के बावजूद, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

xiii) घरेलू उद्योग में नए उत्पादक शामिल हैं, जिन्होंने जांच अवधि से पूर्ववर्ती वर्ष में उत्पादन शुरू किया है और वे उत्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं। कंपनियों और कुछ समर्थकों ने भारतीय बाजार में प्रचलित उचित बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे भारी निवेश किए हैं। इसके अलावा, चार नए विनिर्माता भी लगभग *** एमटी क्षमता वाले संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। यद्यपि, जिन मौजूदा कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए इन कंपनियों को निष्पादन के अनुमानित स्तर को प्राप्त करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि नए विनिर्माता क्षमताएं स्थापित कर रहे हैं, परंतु पाटित आयातों के कारण उन्हें ऐसे संयंत्रों में उत्पादन बंद करना पड़ा है। प्राधिकारी इन कंपनियों के वास्तविक निष्पादन पर विचार कर सकते हैं और निवेश करते समय किए गए अनुमानों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं।

xiv) मात्रा मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि, जांच अवधि में कीमत मापदंडों के संबंध में प्रतिकूल और नकारात्मक रही थी।

xv) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

xvi) संबद्ध आयातों से वास्तविक क्षति का खतरा है। आयात में वृद्धि की दर काफी अधिक है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि लगभग 200 प्रतिशत है। इसके अलावा, आयात में यह वृद्धि भारत में नई क्षमताओं के बावजूद हुई है।

xvii) संबद्ध देश में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट (आईएआई) ने बताया है कि मार्च,

2023 से चीन का वार्षिक उत्पादन रन रेट में 2.1 एमटी की वृद्धि हुई है और अगस्त, 2023 इसमें 42.4 एमटी का नया सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया गया है। चीन ने जनवरी-अगस्त में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष विश्व 0.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ काफी पीछे रहा।

xviii) अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रवंचना संबंधी जांच शुरू की गई हैं। चीन में निर्यातकों या उत्पादकों ने चीन पर पहले लगाए गए शुल्कों को प्रवंचित कर दिया है, जैसा कि यूरोपीय संघ द्वारा थाईलैंड से आयात पर कार्रवाई करने से स्पष्ट है।

xix) थाईलैंड के उत्पादकों से पाटन मुख्य रूप से चीन के फोइल उत्पादकों के स्वामित्व वाले उत्पादकों द्वारा किया जाता है।

xx) एक स्रोत से दूसरे स्रोत तथा एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में पाटन का स्थानांतरण यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार चीन के उत्पादकों के लिए पसंदीदा गंतव्य है। उत्पाद स्थानांतरण की भी संभावना है, क्योंकि पूर्व में चीन पर शुल्क लगाए जाने के साथ ही थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयात में वृद्धि होने लगी थी।

xxi) जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

xxii) आयातों के कारण कीमत कटौती हो रही है। परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

xxiii) कीमत कटौती के कारण बाजार में कीमतों पर न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है।

xxiv) बाजार में कीमतों पर न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव के कारण भारी वित्तीय घाटा, नकद लाभ और आरओआई में गिरावट आ रही है।

xxv) मांग में वृद्धि के बावजूद आवेदकों के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

xxvi) पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

xxvii) मांग - आपूर्ति के अंतर से अधिक आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे देश में उत्पादन क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाया है।

xxviii) जिन कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं अर्थात् लागत से भी कम, ने घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को लागत से कम कीमत पर बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और इस प्रकार उसे भारी घाटा उठाना पड़ रहा है।

xxix) तीसरे देशों से आयात कीमतों में अधिक या मात्रा में नगण्य हैं और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।

xxx) प्रस्तावित क्षति अवधि में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

xxxi) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी है।

xxxii) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxxiii) ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है, जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति में योगदान दे सकती हो।

xxxiv) घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन के संबंध में ही सूचना प्रदान की गई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया है।

xxxv) प्रदान की गई क्षति संबंधी सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से संबंधित है तथा वर्तमान प्रयोजन के लिए एकमात्र संगत सूचना है।

xxxvi) कच्ची सामग्री तथा तैयार उत्पाद दोनों पर वैट छूट वापस ले ली गई है। इस शुल्क वापसी के प्रभाव को समझना अभी जल्दबाजी होगी।

xxxvii) वैट छूट वापस लेना जांच अवधि के बाद की घटना है, इसलिए वर्तमान जांच में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xxxviii) डीजीटीआर को निर्धारण के लिए संगत अवधि के रूप में 12 महीने पहले की अवधि पर विचार करना अपेक्षित है। यह अपने निर्धारण को अज्ञात भावी घटनाक्रमों के आधार पर नहीं कर सकते हैं।

xxxix) डीजीटीआर को निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य तथा एनआईपी के संबंध में पूर्ण सूचना की आवश्यकता है ताकि यह समझा जा सके कि क्या जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के अलावा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है या नहीं ।

xl) निर्यातकों ने केवल यह तर्क दिया है कि वैट छूट वापस ले ली गई है। तथापि, इसका प्रभाव साक्ष्य के साथ प्रदर्शित नहीं किया गया है।

xli) यह केवल अनुमान लगाया गया है कि वैट छूट वापस लेने की मात्रा से उत्पाद की कीमतें बढ़ेंगी। तथापि, इसके लिए कोई आधार नहीं है।

xlii) घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत एनआईपी केवल घरेलू उत्पादन पर विचार करके निर्धारित की जाती है। ऐसा होने पर घरेलू खपत के लिए खपत कीमत भी

निर्धारित की जानी चाहिए। इसे या तो निर्यात के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना खरीदे गए इनपुट को छोड़कर या घरेलू बाजार के लिए उत्पादन के लिए खपत किए गए इनपुट के आयात पर देय सीमा शुल्क और एडीडी को जोड़कर निर्धारित किया जा सकता है।

xliii) पीओआई के दौरान वास्तव में उत्पादित उत्पाद मिश्रण परियोजना रिपोर्ट में विचार किए गए उत्पाद मिश्रण से भिन्न है। इस प्रकार, मानक क्षमता उपयोग पर पीओआई में वास्तव में उत्पादित वास्तविक उत्पाद मिश्रण के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार करने के पश्चात नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर वस्तुत: ध्यान देता है।

100. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन

आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है ।

101. यह नोट किया जाता है कि विषयगत वस्तुओं पर पहले लगाए गए शुल्क की समाप्ति के बाद, डंप किए गए मूल्यों पर विषयगत आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप आवेदकों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्राधिकरण द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को संबोधित करता है। हालांकि, इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए विशिष्ट निवेदनों, और प्रासंगिक माने गए, का प्राधिकरण द्वारा नीचे समाधान किया गया है।

102. वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी के सह-अस्तित्व के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के संबंध में केवल वास्तविक क्षति की जांच की है।

103. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि क्षति विश्लेषण करते समय शुल्क छूट योजना के अंतर्गत किए गए आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए, यह प्राधिकारी की एक संगत प्रक्रिया है कि वह क्षति विश्लेषण करने के लिए ऐसे आयातों को बाहर नहीं रखते हैं। प्राधिकारी ने पूर्व में विभिन्न मामलों में इसी तरह के मुद्दों की जांच की है और माना है कि शुल्क छूट योजना के अंतर्गत किए गए आयातों को घरेलू बाजार में कीमत को प्रभावित नहीं करने वाला नहीं माना जा सकता है। अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकार धारक के पास या तो शुल्क मुक्त आधार पर इनपुट आयात करने या अग्रिम रिलीज आदेश की प्रणाली का उपयोग करके स्वदेशी स्रोतों से उन्हें प्राप्त करने का विकल्प होता है। इस प्रकार भारतीय उद्योग को अपनी कीमतों पर ऐसे आयातों के बेंचमार्किंग प्रभावों का सामना करना पड़ता है। क्षति विश्लेषण का उद्देश्य घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना और उसे नियंत्रित करना है। अत: क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त आयातों को बाहर रखना उचित नहीं होगा। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने शुल्क मुक्त आयातों के मामले में भी सीमा शुल्क जोड़ा है, यद्यपि प्रयोक्ताओं द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया हो।

ज.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

104. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। पीयूसी की मांग निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	24,363	28,837	41,758	48,683
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*118*	*171*	*200*
समर्थकों की बिक्रियां	एमटी	-	-	1,497	5,126
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-*	*-*	*100*	*343*
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	55,127	63,268	58,514	48,414
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*115*	*106*	*88*
संबद्ध देश चीन	एमटी	21,808	16,744	20,524	61,546
अन्य देशों से पाटित आयात	एमटी	23,925	18,359	37,229	27,033
थाईलैंड	एमटी	18,043	16,244	36,085	27,007
इंडोनेशिया	एमटी	3,410	1,530	994	19
मलेशिया	एमटी	2,472	586	150	7
अन्य देश	एमटी	19,747	19,040	16,351	5,049
कुल भारतय मांग	एमटी	1,44,970	1,46,248	1,75,872	1,95,851
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*121*	*135*

**डीजी सिस्टम्स के आंकड़े*

105. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) समग्र और सापेक्ष रूप में आयात

106. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में कोई भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के अंतिम पीयूसी और पीसीएन के आधार पर आंकड़ों पर विचार किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई**
आयात मात्रा					
संबद्ध देश चीन	एमटी	21,808	16,744	20,524	61,546
अन्य देशों से पाटित आयात	एमटी	23,925	18,359	37,229	27,033
थाईलैंड	एमटी	18,043	16,244	36,085	27,007
इंडोनेशिया	एमटी	3,410	1,530	994	19
मलेशिया	एमटी	2,472	586	150	7
अन्य देश	एमटी	19,747	19,040	16,351	5,049
कुल आयात मात्रा	एमटी	65,479	54,143	74,104	93,628
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	33	31	28	66
उत्पादन	%	24	17	17	49
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*68*	*199*
खपत	%	15	11	12	31
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*76*	*78*	*209*

**डीजी सिस्टम्स के आंकड़े*

107. यह देखा गया है कि:

i) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है, जिसमें जांच अवधि में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। जांच अवधि में संबद्ध आयात आधार वर्ष की मात्रा का लगभग तीन गुना है।

ii) अन्य देशों जिन पर शुल्क लागू है, से आयात भी काफी अधिक बने हुए हैं।

iii) भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में जांच अवधि में काफी अधिक वृद्धि देखी गई है।

iv) भारत में उत्पाद के कुल आयात के संबंध में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

108. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अन्यथा कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।

109. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

110. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना करके कीमत कटौती ज्ञात की गई है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में काफी अंतर है। अत: प्राधिकारी ने तुलनीय प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। इस प्रकार, संबद्ध आयात मात्रा पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है। इस तुलना से पता चला कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश की मूल की संबद्ध वस्तु को भारतीय बाजार में ऐसी कीमत पर आयात किया गया जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम थीं। इस प्रकार यह नोट गया कि संबद्ध वस्तु के आयात से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और कटौती का मार्जिन नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	**यूओएम**	**पीओआई**
बिक्री कीमत	रू/एमटी	***
पहुंच कीमत	रू/एमटी	3,41,529
कीमत कटौती	रू/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती %	रेंज	0-10

111. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही हैं।

ख. कीमत ह्रास या न्यूनीकरण

112. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ आवेदकों ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना प्रदान की है जो नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*131*	*139*
बिक्री कीमत	रू/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*149*	*140*
पहुंच कीमत	रू/एमटी	2,14,290	2,17,548	3,57,700	3,41,529
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*167*	*159*

113. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच अवधि में बिक्री लागत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में *** रुपये/किलोग्राम की वृद्धि हुई, जबकि जांच अवधि में बिक्री कीमत में *** रुपये/किलोग्राम की गिरावट आई। यह देखा गया है कि बिक्री कीमत में उतार-चढ़ाव पहुंच कीमत के उतार-चढ़ाव के अनुरूप रहा है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री कीमत में कमी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में पहुंच कीमत में कमी के समानुपातिक नहीं रही है। यह भी नोट किया गया है कि आवेदकों ने थाईलैंड पर शुल्क बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है, जिसका आयात शुल्क लगाए जाने के बावजूद काफी अधिक बना हुआ है। प्राधिकारी, समानांतर रूप से एक मध्यावधि समीक्षा जांच कर रहे हैं।

ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

114. नियमावली के अनुबंध-II में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश

जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

115. इस जांच अवधि में आवेदकों के निष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उनके निष्पादन से की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

116. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई**
क्षमता (पीयूसी एवं एनपीयूसी)	एमटी	53,756	67,910	1,15,073	1,32,140
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*126*	*214*	*246*
उत्पादन (पीयूसी एवं एनपीयूसी)	एमटी	27,843	34,452	57,492	69,572
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*124*	*206*	*250*
उत्पादन - पीयूसी	एमटी	26,801	33,346	57,023	66,352
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*124*	*213*	*248*
क्षमता उपयोग	%	52%	51%	50%	53%
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*98*	*96*	*102*
घरेलू बिक्रियां	एमटी	24,363	28,837	41,758	48,683
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*118*	*171*	*200*
निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*192*	*541*	*777*

117. यह देखा गया है कि:

क. क्षति अवधि के दौरान पीयूसी की मांग में वृद्धि हुई है। आवेदक कंपनियों अर्थात् श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, एलएसकेबी, जीएलएस ने जांच अवधि से पूर्ववर्ती वर्ष में उत्पादन शुरू किया था जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।

ख. स्थापित क्षमता और उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री में भी यही प्रवृत्ति रही है और इसमें भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि, ये स्तर उन स्तरों से कम हैं जो विशेष रूप से क्षमता वृद्धि को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को पाटन के अभाव में प्राप्त हो गए होते ।

ग. क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान कम रहा है।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

118. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार रहा था:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	17	20	24	25
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*141*	*148*
समर्थक	%	-	-	1	3
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-*	*-*	*100*	*308*
अन्य उत्पादक	%	38	43	33	25
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*114*	*87*	*65*

भारतीय उद्योग	%	55	63	58	52
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*115*	*106*	*95*
संबद्ध देश - चीन	%	15	11	12	31
देश, जिन पर एडीडी लागू	%	17	13	21	14
अन्य देश	%	14	13	9	3
भारत में मांग	एमटी	1,44,970	1,46,248	1,75,872	1,95,851
भारत में स्थापित क्षमताएं	एमटी	***	***	***	***
अधिशेष क्षमताएं	एमटी	***	***	***	***

119. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, चीन जन. गण. का बाजार हिस्सा, जो जांच अवधि से पूर्ववर्ती वर्ष में 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत था, जांच अवधि में उल्लेखनीय रूप से और तेजी से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

120. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई**
लाभ/हानि	रू/एमटी	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-61*	*328*	*-119*
पीबीआईटी	रू. लाख	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-51*	*296*	*-127*
पीबीआईटी प्रति यूनिट	रू/एमटी	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-41*	*139*	*-51*

नकद लाभ	रू. लाख	(***)	***	***	(***)
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*133*	*1,314*	*-30*
नकद लाभ प्रति यूनिट	रू/एमटी	(***)	***	***	(***)
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*107*	*618*	*-12*
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-50*	*129*	*-65*

121. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष और दूसरे वर्ष में घाटा हो रहा था। यह स्मरण रहे कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु पर पहले पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इस तरह के शुल्क लगाए जाने से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया से आयात में अंतरण हुआ है । प्राधिकारी ने 18 जून, 2021 को इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की और इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने 16 सितंबर, 2021 को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान अन्य स्रोतों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। ऐसे स्रोतों पर शुल्क लगाने से 2021-22 और अप्रैल-सितंबर 2022 की अवधि में कुछ सुधार हुआ। चीन जन. गण. पर एडीडी की समाप्ति के साथ, आयात में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच अवधि में बहुत तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग पुन: वित्तीय घाटे से जूझ रहा है।

ii. नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, ब्याज और मूल्यह्रास पूर्व लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय में लाभ के जैसे ही प्रवृत्ति रही है। अप्रैल, 21 से सितंबर, 22 की अवधि में इन मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ तथा पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में इसमें भारी गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की।

घ) मालसूची

122. क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)	पीओआई
प्रारंभिक	एमटी	***	***	***	***
अंतिम	एमटी	***	***	***	***
औसत	एमटी	1,283	1,314	3,108	5,158
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*242*	*402*

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची के औसत स्तर में वृद्धि हुई है।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

124. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	877	902	1,792	1,831
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*103*	*204*	*209*
वेतन और मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*165*	*180*

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और प्रदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है। ऐसा भारतीय बाजार में उत्पादन क्षमता और उत्पादकों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है।

च) वृद्धि

126. आवेदकों की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-सितंबर 22 (वार्षिकीकृत)	पीओआई
उत्पादन	%	-	24%	71%	16%
घरेलू बिक्रियां	%	-	18%	45%	17%
पीबीआईटी	%	-	-49%	-682%	-143%
नकद लाभ- रू. लाख	%	-	-233%	889%	-102%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	3%	12%	-13%

127. यह देखा गया है कि मात्रात्मक मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि सकारात्मक रही है तथा कीमत मापदंडों के संदर्भ में नकारात्मक रही है।

छ) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

128. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

ज.3.5 क्षति पर निष्कर्ष

129. ऊपर जांचे गए कारकों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:

i) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जिसमें जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों में भी जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ii) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्यों से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही थीं। संबद्ध आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है।

iii) घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है। बल्कि जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में विक्रय मूल्य में कमी आई है। इसके अलावा, विक्रय मूल्य ने उतराई मूल्य की गति का अनुसरण किया है। पाटित आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आ रही है।

iv) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। जांच अवधि से पहले के वर्ष में नई कंपनियों ने उत्पादन शुरू किया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री बढ़ी है। हालांकि, क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग कम रहा।

v) जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, चीन पीआर का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान दोगुने से भी अधिक हो गया है।

vi) चीन पर एडीडी की समाप्ति के बाद, आयात में 200% की वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई। घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हो रहा है। घरेलू उद्योग को लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न मिल रहा है।

vii) क्षति अवधि के दौरान प्रति यूनिट पीबीआईटी में लगभग 50% की गिरावट आई है।

viii) घरेलू उद्योग के पास इन्वेंट्री का स्तर क्षति अवधि के दौरान 300% से अधिक बढ़ गया है।

ix) घरेलू उद्योग को मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है।

x) डंपिंग मार्जिन महत्वपूर्ण है।

झ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)</u>

130. प्राधिकारी ने जांच की थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए पाटित आयातों से इतर ज्ञात कारकों की जांच की है कि क्या इनसे उसी समय पर घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

131. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर या तो शुल्क लागू हैं या मात्रा नगण्य है। घरेलू उद्योग ने थाईलैंड पर लगाए गए शुल्कों में वृद्धि की मांग की है और प्राधिकारी थाईलैंड से आयात के विरुद्ध मध्यावधि समीक्षा जांच कर रहे हैं। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को होने वाली वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

132. क्षति अवधि के दौरान मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, मांग में संभावित गिरावट क्षति का कारण नहीं है।

ग) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

133. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत की प्रवृत्ति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

134. जांच में प्रतिस्पर्धा की स्थिति या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

135. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

136. प्रदत्त जानकारी पर घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए विचार किया गया है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

137. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए क्षति संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं और इन्हें प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

<u>कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक</u>

138. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का विश्लेषण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को दर्शाता है। डंप किए गए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित होता है:

i. आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई है। देश में क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है।
ii. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है और जांच अवधि में बिक्री की लागत से भी कम है और इससे मूल्य में गिरावट आई है।
iii. जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 3% की वृद्धि हुई, घरेलू बाजार में नए खिलाड़ियों के प्रवेश के बावजूद संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में 18% की तीव्र वृद्धि हुई।
iv. घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री को उस स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है जो नई क्षमताओं के जुड़ने के अनुरूप डंपिंग की अनुपस्थिति में उचित होता।
v. घरेलू उद्योग के भंडार में वृद्धि हुई है तथा जांच अवधि में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने 21 अप्रैल से 22 सितंबर के बीच लाभ कमाया था, जो जांच अवधि में घाटे में बदल गया। जांच अवधि में नकद लाभ में भारी गिरावट आई है तथा निवेश पर प्रतिफल भी नकारात्मक हो गया है।

139. उपर्युक्त विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के बढ़े हुए डंप आयात के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश में

उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के डंप आयात में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

140. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित करने है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि के दौरान विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी।

<u>संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन</u>

141. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में मानना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल क्षति मार्जिन निर्धारित करना प्राधिकारी की एक संगत प्रक्रिया रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग क्षति मार्जिन की गणना करने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम अलग क्षति मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यातों को भेजने के लिए सक्षम बन कर शुल्क को निष्प्रभावी कर सकते हैं।

142. उपर्युक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में माना है और उन्हें एक एकल क्षति मार्जिन दिया जाना चाहिए, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।

143. पहुंच कीमत और उपरोक्त के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले क्षति मार्जिन को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

<u>क्षति मार्जिन</u>

कंपनी	**क्षतिरहित कीमत**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**रेंज**
	यूएस डॉलर/एमटी	**डॉलर/एमटी**	**डॉलर/एमटी**	**%**	
हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	10-20
हेनान मिंगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.					
सनहो न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	10-20
शंघाई सनहो एल्युमिनियम फोइल कं. लि.					
जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कंपनी लिमिटेड					
हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड					
गैर नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	10-20
असहयोगी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ट. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

144. जनहित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से एल्युमीनियम फोइल पर सतत आधार पर अनेक शुल्क लगाए हैं, परंतु घरेलू उद्योग अभी भी संरक्षण चाहता है।

ii. बाजार में नए प्रवेशक आए हैं और भविष्य में अनेक और आने वाले हैं।

iii. एकाधिकार के निर्माण को रोकने के लिए उचित सावधानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iv. शुल्क लगाए जाने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक होगी। शुल्क राशि जोड़ने पर उत्पाद की कीमत अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कीमत संबंधी समस्याओं को जन्म देगी। संबद्ध वस्तु दैनिक उपयोग का उत्पाद है, जिसका अंततः प्रत्येक घर में उपयोग होता है।

v. शुल्क के साथ एल्युमीनियम फोइल कंटेनर जैसी वस्तुओं की उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत का 80-85 प्रतिशत संबद्ध वस्तु है और शुल्कों का ऐसे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

vi. उपभोक्ताओं को वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्कों के अतिरिक्त भी आयात करना होगा, जिसके लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा अत्यधिक कीमत प्रभारित की जाएगी।

vii. घरेलू उद्योग में भारत में संबद्ध वस्तु के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित पर्याप्त गुणवत्ता का अभाव है, जिससे आयात आवश्यकता हो जाते हैं।

viii. यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो यह डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगा और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता, लीड टाइम के साथ संबद्ध वस्तु की प्राप्ति असमर्थता उत्पन्न करेगा और उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की क्षमता को प्रभावित करेगा।

ix. डाउनस्ट्रीम तैयार वस्तु की लागत बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग अव्यवहार्य हो जाएगा। अन्य देशों से तैयार वस्तु का आयात बढ़ेगा और भारत में लचीले पैकेजिंग उद्योग को क्षति होगी।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

145. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा संचालित उचित मूल्य वाले उत्पादों वाला बाजार होना उपभोक्ताओं के हित में है जो आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

ii. भारत में घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना विनिर्माण क्षेत्र में महाशक्ति बनने में इसकी भूमिका में सहायता करने के लिए अनिवार्य है। घरेलू उत्पादन से रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

iii. समान अवसर सुनिश्चित करने तथा भारत को उत्पाद पर केवल आयात पर निर्भर होने से बचाने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अनिवार्य है।

iv. आवेदक कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनी हैं। यदि आवेदक कंपनियों के किसी एक व्यावसायिक प्रभाग के निष्पादन में गंभीर बाधा आती है तो यह अनिवार्य रूप से कंपनी के अन्य प्रभागों को भी प्रभावित करेगा। अत: आवेदक कंपनियों के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस उत्पाद की व्यवहार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

v. उपभोक्ता के लिए एल्युमीनियम की लागत नगण्य है। संबद्ध वस्तु के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता वे उद्योग हैं जो खाद्य एवं पेय पदार्थों, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग आदि के संरक्षण, भंडारण तथा तैयारी के लिए एल्युमीनियम फोइल का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में माना था कि घरेलू उद्योग या चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पाद की कीमत में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई थी।

vi. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव की मात्रा बताई है। औसतन विभिन्न अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए प्रभाव 0.026 - 4.36 प्रतिशत के बीच रहता है।

vii. चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तु पहले पाटनरोधी उपायों के अधीन थी। यह दर्शाने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं है कि पूर्व में लागू उपायों का अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

viii. पूर्ववर्ती शुल्कों के लागू होने के बाद से भारतीय उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने काफी निवेश किया है और क्षमताओं का विस्तार किया है क्योंकि

सरकार ने पहले पाटन उपचार किया था और चीन जन. गण. से आयात पर शुल्क लगाकर एक समान अवसर वाला बाजार प्रदान किया था। पूर्व में मांग-आपूर्ति के अंतर के मुकाबले भारतीय उद्योग के पास अब अधिशेष क्षमता है।

ix. भारत का एल्युमीनियम उद्योग विश्व में एल्युमीनियम और उसके उत्पादों का दूसरा सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। भारतीय कंपनियों का एल्युमीनियम उत्पादन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है।

x. एल्युमीनियम फोइल प्लास्टिक की बोतलों, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं, का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। एल्युमिनियम फोइल एक गैर-विषाक्त पदार्थ है जो अत्यधिक तापमान पर भी भंगुर नहीं होता है, लगभग समस्त विकिरण ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। यह एक अच्छा तापीय चालक भी है और आमतौर पर काफी लचीला होता है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर वाला बाजार सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। इसी के साथ प्राधिकारी को जानकारी है कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु साथ ही देश के भीतर नए उत्पादकों के उभरने को भी बढ़ावा मिल सकता है।

147. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने

प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत जानकारी प्रदान कर सकें। अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों के परस्पर उपयोग, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, ऐसे कारक जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं, के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

148. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई मात्रात्मक और/या सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान नहीं की है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव के बारे में मात्रात्मक और सत्यापन योग्य जानकारी प्रस्तुत की है। विभिन्न अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए औसतन, प्रभाव 0.026 - 4.36 प्रतिशत के बीच रहता है।

फोइल के प्रकार	**प्रभाव**
फार्मास्युटिकल ब्लिस्टर पैक	0.026%
फार्मास्युटिकल स्ट्रिप पैक	0.073%
फार्मास्युटिकल एलू एलू स्टॉक	
ब्लिस्टर फोइल	0.022%
एलु एलु	0.046%
टेलमा 40	0.068%
लचीली पैकेजिंग	0.071%
हाउस फोइल	3.5%
एसआरसी	4.36%

149. उपभोक्ता उद्योग के प्रचालन पर पूर्व में शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव या उनको हुई कठिनाई के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया है।

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि *** एमटी की नई क्षमताएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि भारतीय उद्योग के पास देश में संबद्ध वस्तु की संपूर्ण मांग से अधिक क्षमता है। *** एमटी की कुल भारतीय क्षमता जांच अवधि में *** एमटी की स्थापित मांग से अधिक है। इस प्रकार, पर्याप्त क्षमताएं हैं और संबद्ध वस्तु के घरेलू और विदेशी दोनों ही अनेक उत्पादक हैं।

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध देश से आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात में वृद्धि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बाजार में हिस्सेदारी का घरेलू उद्योग. यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय उद्योग पकड़ना पर्याप्त क्षमता को मिलो माँग में देश और वहाँ है नहीं मांग आपूर्ति अंतर। यह है भी में दिलचस्पी का उपयोगकर्ता उद्योग को पास होना सूत्रों का कहना है का आपूर्ति का विषय वस्तु अंदर भारतीय इलाका के लिए तत्पर और लघु अवधि वितरण का विषय चीज़ें। यह उपयोगकर्ता उद्योग के दीर्घकालिक हित में भी है कि वह अनेक सुविधाएँ बनाए रखे। आपूर्ति के स्रोत .

ठ. <u>प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियाँ</u>

ठ.1 अन्य इच्छुक पक्षों के अनुरोध

152. प्राधिकरण द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करने के लिए दिया गया समय अत्यंत अपर्याप्त था।
ii. सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के नामों की सही वर्तनी का ध्यान रखा जाना चाहिए।
iii. हेनान मिंगताई के डंपिंग मार्जिन को बिना किसी स्पष्टीकरण के घटा दिया गया है। "अन्य सभी" के लिए मार्जिन भी बिना किसी औचित्य के घटा दिया गया

है। उनके लिए ड्यूटी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार अधिक होनी चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग में 6 कंपनियाँ शामिल हैं और कुल भारतीय उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया गया है। ये विवरण गोपनीय नहीं रखे जा सकते।

v. विशेष परिस्थितियों के कारण केवल 2 वर्षों के लिए शुल्क की संस्तुति करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। विशेष परिस्थितियों में शामिल हैं (क) 13% वैट रिफंड वापस लेने के कारण विषयगत वस्तुओं की निर्यात कीमतों में वृद्धि हुई है; (ख) पूरे घरेलू उद्योग का डेटा केवल 2 वर्षों के लिए उपलब्ध है। याचिका में कहा गया है कि 6 में से 4 उत्पादक नए उत्पादक हैं

vi. प्राधिकरण ने इस दावे पर ध्यान नहीं दिया है कि भौतिक क्षति मूल्यांकन अप्रमाणिक है, क्योंकि 9 नए उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान या 2021-22 में उत्पादन शुरू कर दिया है।

vii. छह स्व-चयनित उत्पादकों पर निर्भर रहने से क्षति का आकलन अप्रमाणिक हो जाता है। जिंदल इंडिया लिमिटेड, जो पहले घरेलू उद्योग का हिस्सा था और अल्ट्रा लाइट गेज एल्युमीनियम फॉयल का एक जाना-माना उत्पादक था, को बिना किसी स्पष्टीकरण के बाहर रखा गया, जिससे वर्तमान उत्पादकों के बारे में सवाल उठे। जेपी फॉयल और अन्य का उत्पादन जांच अवधि में कम हुआ, जबकि 6 चुनी गई कंपनियों में उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति थी।

viii. अधिकांश आयात अल्ट्रा लाइट गेज एल्युमीनियम फॉयल हैं, और यदि घरेलू उद्योग पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकता है, तो इसकी क्षति को आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है, जिससे ऐसे उत्पाद प्रकार को पीयूसी दायरे से बाहर रखना आवश्यक हो जाता है। प्राधिकरण ने इस संबंध में तथ्यात्मक विवरणों को नजरअंदाज कर दिया।

ix. चीन जनवादी गणराज्य के आयात मूल्य प्रवृत्तियों के संबंध में प्राधिकरण का विश्लेषण अधूरा है, जिसमें आधार वर्ष से जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि को नजरअंदाज किया गया है।

x. विक्रय की लागत और विक्रय मूल्य के रुझान मूल्य दमन/अवसादन को गलत साबित करते हैं, जिसमें विक्रय मूल्य में 43% और लागत में 39% की वृद्धि हुई है।

xi. प्रमुख मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, क्षमता, उत्पादन, बिक्री, रोजगार,

मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि बाजार हिस्सेदारी स्थिर रही।

xii. पीबीडीआईटी सकारात्मक बना हुआ है और 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में 214 सूचकांक अंक तक बढ़ गया है। लाभ/हानि के रुझान प्रारंभिक निष्कर्षों से महत्वपूर्ण भिन्नता दर्शाते हैं, घरेलू उद्योग की ओर से स्पष्टीकरण का अभाव है, जिसका खुलासा प्राधिकरण को करना चाहिए।

xiii. लाभप्रदता में गिरावट नए उत्पादकों/निर्यातकों की ओर से मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण है, जिसमें 2019-20 की तुलना में ब्याज लागत 5 गुना और मूल्यह्रास लागत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है।

xiv. प्राधिकरण का यह दावा कि पीबीडीआईटी रुझान लाभ से मेल खाते हैं, गलत है, क्योंकि इसमें पीबीडीआईटी विवरण को छोड़ दिया गया है, जबकि घरेलू उद्योग पीबीडीआईटी अर्जित कर रहा है (घाटा नहीं उठा रहा है)।

xv. प्राधिकरण ने संयुक्त मापदंडों पर भरोसा करने से पहले यह आकलन करने की अनदेखी की कि क्या 4 नए उत्पादक "स्थापित" हैं, जिससे वास्तविक भौतिक क्षति का मूल्यांकन प्रभावित हुआ।

xvi. एल्युमीनियम फॉयल <80 माइक्रोन के लिए समर्पित एचएस कोड की अनुपस्थिति के कारण सटीक आयात मात्रा का आकलन अस्पष्ट है; डेटा का विश्लेषण करने की पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है।

xvii. कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई, जिससे विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा; जांच अवधि के दौरान एल्युमीनियम पिंड और आयातित माल की कीमतों में गिरावट आई।

xviii. 22 उत्पादकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे भौतिक क्षति हुई; 8 उत्पादकों के पास पहले से ही 82% हिस्सेदारी थी, जिससे महत्वपूर्ण अंतर-प्रतिस्पर्धा मुद्दे उजागर हुए।

xix. प्राधिकरण ने घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का विश्लेषण नहीं किया, जो कि एंटी-डंपिंग नियमों के तहत अन्य क्षति के कारणों का मूल्यांकन करने में एक प्रमुख कारक है।

xx. याचिका में बताई गई गैर-हानिकारक कीमत की सीमा का खुलासा प्रकटीकरण विवरण में नहीं किया गया, यद्यपि यह पूर्व मध्यावधि समीक्षा की तुलना में प्रति मीट्रिक टन *** रुपये अधिक है।

xxi. नई घरेलू इकाइयों के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर

निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें पीओआई और परियोजना रिपोर्ट के आंकड़ों का उपयोग करना होगा।

xxii. एंटी-डंपिंग ड्यूटी से खाद्यान्न और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे मुद्रास्फीति और बिगड़ जाएगी।

xxiii. मांग-आपूर्ति अंतर के लिए, प्राधिकरण को 6 उद्योग घटकों की उत्पादन क्षमता का आकलन करना चाहिए, न कि सामान्य घरेलू उत्पादकों की, तथा दूसरों से प्राप्त जानकारी को स्पष्ट करना चाहिए। घरेलू उत्पादकों में पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा का अभाव है; 2026 में हिंडाल्को की उड़ीसा सुविधा चालू होने तक आयात आवश्यक बना रहेगा।

xxiv. 6.3-माइक्रोन फ़ॉइल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क में संदर्भ मूल्य-आधारित मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि नायलॉन फिलामेंट यार्न (2006, 2011) और मिश्र धातु स्टील बार्स और रॉड्स (2018) जैसी पिछली जांचों में किया गया था।

xxv. व्यापार नोटिस के अनुसार, क्षति डेटा में जांच अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्ष शामिल होने चाहिए। प्राधिकारी ने जांच अवधि से पहले एक गैर-वित्तीय वर्ष का उपयोग किया, जो व्यापार नोटिस मानदंडों का उल्लंघन है। पिछला वर्ष वित्तीय वर्ष होना चाहिए था, और जांच अवधि अप्रैल 2022 से सितंबर 2023, या वैकल्पिक रूप से, अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 होनी चाहिए थी।

xxvi. प्रकटीकरण विवरण के अनुसार, प्राधिकरण ने प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में पीयूसी के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें कैपेसिटर के लिए 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले 5-माइक्रोन गेज के एल्युमिनियम फॉयल की 99.35% शुद्धता और कैपेसिटर के लिए 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्युमिनियम फॉयल को शामिल किया गया है। आरंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद के चरण में पीयूसी के दायरे के विस्तार की अनुमति नहीं है। प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह कानूनी प्रावधान बताए जो डीजीटीआर को आरंभिक अधिसूचना के बाद पीयूसी के दायरे का विस्तार करने की अनुमति देता है।

xxvii. जीएलएस ने शुरू में आयातक होने का दावा किया था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया और कहा कि कंपनी और उसकी संबंधित संस्थाएं आयात करती हैं। प्राधिकरण को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे आयातों को जांच के दौरान क्यों नजरअंदाज किया गया और कई गलत घोषणाओं के बावजूद जीएलएस को

सहयोगी क्यों माना गया।

xxviii. पीसीएन के बीच भौतिक मूल्य अंतर के कारण, प्राधिकरण को पीसीएन स्तर पर मूल्य दमन या मंदी की जांच करनी चाहिए, जैसा कि चीन से 'औद्योगिक लेजर मशीनों' पर एडी जांच में किया गया था।

xxix. मामले के विशिष्ट तथ्यों के अनुसार शुल्क के परिवर्तनशील स्वरूप की सिफारिश की जानी चाहिए।

xxx. 6 उत्पादकों में से 3 स्थापित हैं और 3 नवजात हैं। एसबीआर जांच के अनुरूप, प्राधिकरण को स्थापित उत्पादकों के लिए भौतिक क्षति और नवजात उत्पादकों के लिए भौतिक मंदता की जांच करनी चाहिए थी, जैसा कि ट्रिन्सियो जीएमबीएच बनाम भारत संघ और अन्य में सीईएसटीएटी द्वारा बरकरार रखा गया था।

xxxi. अंतिम निष्कर्षों में "पॉलीयूरेथेन लेपित एल्यूमीनियम फोइल - एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग के बावजूद" के बहिष्कार की पुष्टि की जानी चाहिए।

xxxii. प्रकट किए गए तथ्य मात्रा मापदंडों में वृद्धि दर्शाते हैं और इसका कोई मूल्य प्रभाव नहीं है। दावा किए गए नुकसानों को आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। डंपिंग और क्षति दिखाने या शुल्क लगाने को उचित ठहराने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है।

xxxiii. भारतीय उत्पादक एसआरसी और हाउस फॉयल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं करते हैं। प्रकटीकरण से पता चलता है कि हाउस फॉयल के मामले में एडीडी का प्रभाव 3.5% और एसआरसी फॉयल के मामले में 4.36% होगा, जो बहुत अधिक है। एसआरसी और हाउस फॉयल के उपयोगकर्ता बहुत कम मार्जिन के साथ काम करते हैं और बढ़ोतरी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इससे छोटी इकाइयां बंद भी हो सकती हैं।

xxxiv. आवेदक की पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता एसआरसी और हाउस फॉयल की कमी को उचित नहीं ठहराती। आवेदक इन दोनों उत्पादों की आपूर्ति में कम रुचि दिखाते हैं जो एक गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।

xxxv. उपयोगकर्ताओं का मानना है कि आवेदक आवश्यकता से कम या बिलकुल भी

एसआरसी और हाउस फॉइल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, ताकि डाउनस्ट्रीम उत्पाद में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जा सके। यह उन्हें शुल्क के दायरे से बाहर रखने का औचित्य सिद्ध करता है।

xxxvi. क्षति का आकलन त्रुटिपूर्ण है। केवल 6 याचिकाकर्ताओं को शामिल करना, जिनमें से 4 नए प्रवेशक हैं, अनुचित है। याचिका में सामान्य बाजार स्थितियों का दावा किया गया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आयात से क्षति हो रही है, और स्केलिंग चुनौतियों जैसे अन्य कारक जिम्मेदार हो सकते हैं।

xxxvii. प्राधिकारी ने तर्कों, विशेषकर घरेलू उद्योग द्वारा व्यापार नोटिसों का अनुपालन न करने के संबंध में, का समुचित रूप से समाधान नहीं किया है।

xxxviii. चीन को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था मानना कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि परिग्रहण प्रोटोकॉल के तहत 15-वर्षीय संक्रमण काल 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया।

xxxix. प्रकटीकरण विवरण में दिए गए आंकड़ों और मूल याचिका एवं लिखित प्रस्तुतियों में दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां हैं, जिससे याचिकाकर्ता के दावों की सटीकता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

xl. 22% ROCE का अनुप्रयोग पुराना हो चुका है। इसे 1987 में निर्धारित किया गया था जब ब्याज दरें 18% और कॉर्पोरेट कर दरें 40% थीं। प्राधिकरण को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और वर्तमान आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हुए अधिक यथार्थवादी, अद्यतन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ के बिना उचित संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

xli. शुल्कों से पैकेजिंग, खाद्य और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों की लागत बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं और किफायती आयात पर निर्भर क्षेत्रों को नुकसान होगा। जबकि घरेलू उत्पादकों को लाभ हो सकता है, यह नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डाल सकता है।

xlii. प्राधिकरण के तर्क में जियांग्सू फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई *** मीट्रिक टन की महत्वपूर्ण मात्रा को नजरअंदाज किया गया है, जो कुल आयात का *** % है । यह मात्रा घरेलू उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव के कारण व्यक्तिगत जांच की मांग करती है और नियम 17(3) की संकीर्ण व्याख्या के आधार पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि नमूनाकरण व्यक्तिगत निर्धारणों को सीमित करने

की अनुमति देता है, महत्वपूर्ण उत्पाद पेशकशों वाले प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर करना जांच की पूर्णता को कमजोर करता है। प्राधिकरण को व्यक्तिगत निर्धारण प्रक्रिया में जियांग्सू फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड को शामिल करने पर पुनर्विचार करना चाहिए।

xliii. दवाइयों के इस्तेमाल में इस्तेमाल होने वाली 8021 मिश्रधातु की एल्युमीनियम फॉइल कुल आयात का केवल 5% हिस्सा है। पैकिंग लागत में वृद्धि को रोकने के लिए इन्हें शुल्क से बाहर रखना आवश्यक है, जो आवश्यक दवाओं की गुणवत्ता, सामर्थ्य और उपलब्धता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

xliv. प्राधिकरण ने गलती से आलू-फॉइल स्टॉक (45-60 माइक्रोन) को बाहर करने को अस्वीकार कर दिया था, यह दावा करते हुए कि घरेलू उद्योग उत्पाद की आपूर्ति कर सकता है।

xlv. हिंडाल्को उक्त उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है, जिसके पास वास्तविक एकाधिकार है।

xlvi. घरेलू आपूर्ति (*** मीट्रिक टन/माह) मांग (*** मीट्रिक टन/माह) से काफी कम है, जिससे आपूर्ति में अंतर पैदा हो रहा है।

xlvii. घरेलू एलु एलु फॉयल स्टॉक के साथ गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण कन्वर्टर्स और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा कई बार अस्वीकृति की गई है।

xlviii. एडीडी लागू करने से आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा तथा फार्मास्यूटिकल्स और एफएमसीजी क्षेत्रों की लागत में वृद्धि होगी।

xlix. प्राधिकरण ने अल्ट्रा-लाइट गेज एल्युमीनियम फॉयल (6.3 माइक्रोन) को बाहर करने से इनकार कर दिया था, बावजूद इसके कि इस बात के सबूत मिले थे कि घरेलू उद्योग मांग को पूरा नहीं कर सकता।

l. फोइल प्रकाश और ऑक्सीजन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण अवरोधक के रूप में कार्य करती है, खराब होने से बचाती है और परिरक्षकों के बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कोई व्यवहार्य विकल्प मौजूद नहीं है।

li. प्रमुख आपूर्तिकर्ता, रविराज फोइल्स लिमिटेड को गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया तथा अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ता, जैसे श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, बाजार की जरूरतों का केवल एक अंश (8-10%) ही प्रदान कर सकते हैं।

lii. घरेलू फ़ॉइल उद्योग मानकों को पूरा नहीं करते हैं, इनमें पिनहोल की संख्या अधिक होती है, तन्य शक्ति कमज़ोर होती है और संरचनात्मक अस्थिरता होती है। इन दोषों के कारण मशीन में खराबी, उत्पादन में रुकावट और संदूषण का जोखिम होता है।

liii. घटिया घरेलू फोइल के उपयोग से उत्पादन बाधित होता है, लागत बढ़ती है, तथा व्यवसायिक व्यवहार्यता को खतरा होता है।

liv. एडीडी लागू होने से अल्पावधि में घरेलू क्षमता विस्तार को प्रोत्साहन दिए बिना आपूर्ति संबंधी बाधाएं और बढ़ जाएंगी। इसलिए, प्राधिकरण को उक्त उत्पाद को बाहर कर देना चाहिए।

lv. घरेलू उद्योग चीन जन.गण. से आयात के कारण हुई भौतिक क्षति का मामला स्थापित करने में विफल रहा है।

lvi. मात्रा प्रभाव, मूल्य प्रभाव अनुपस्थित है तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर आयात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

lvii. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और लाभप्रदता जैसे प्रमुख संकेतक जांच अवधि (पीओआई) के दौरान सुधार दर्शाते हैं।

lviii. गुणवत्ता मानकों और क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता एक प्रणालीगत मुद्दा है, जो संबद्ध आयातों से संबंधित नहीं है।

lix. कथित क्षति का चीन जनवादी गणराज्य से आयात के साथ कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, तथा इन आयातों के कारण कोई महत्वपूर्ण मात्रा या मूल्य प्रभाव नहीं है।

lx. प्राधिकरण ने अन्य ज्ञात कारकों, जैसे घरेलू गुणवत्ता और क्षमता संबंधी बाधाएं, अकुशलता के कारण बढ़ी हुई लागत या गैर-संबंधित आयातों से प्रतिस्पर्धा, की पर्याप्त रूप से जांच नहीं की है, जो किसी भी क्षति में योगदान दे रहे हैं।

lxi. पीयूसी पर एडीडी लगाने से भारतीय उपयोगकर्ताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से खाद्य पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों पर।

lxii. प्राधिकरण के इस निष्कर्ष के विपरीत कि उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव नगण्य होगा, उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं कि पीयूसी, डाउनस्ट्रीम निर्माताओं द्वारा वहन की गई कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथा एडीडी लागू होने से वित्तीय घाटा होगा।

lxiii. एसेप्टिक पैकेजिंग प्रक्रियाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एल्युमिनियम फॉयल की आवश्यकता होती है, लेकिन घरेलू स्तर पर उत्पादित फॉयल में मजबूती और मशीनीकरण संबंधी कमियां पाई गई हैं, जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

lxiv. घरेलू उद्योग में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता का अभाव है, जो एकल उपयोगकर्ता की आवश्यकता का केवल 8-10% ही आपूर्ति करता है। एडीडी से कमी बढ़ेगी, जिससे आवश्यक क्षेत्रों में उत्पादन में मंदी आएगी।

lxv. आयातकों को पहले से ही कच्चे माल (एल्युमीनियम के फ्लैट रोल्ड उत्पाद) पर ADD का सामना करना पड़ रहा है। अतिरिक्त शुल्क से व्यापार की व्यवहार्यता पर और अधिक दबाव पड़ेगा।

lxvi. एल्युमीनियम और एल्युमीनियम मिश्र धातु उत्पाद QCO, 2023 पहले से ही आयात पर विनियामक प्रतिबंध लगाता है। ADD लागू होने से उपलब्धता गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी।

lxvii. शुल्कों के कारण आपूर्ति में कमी, उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिम तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में कमी हो सकती है।

lxviii. प्राधिकरण द्वारा नमूना लेने का निर्णय असामयिक है और नियमों के अनुसार नहीं है। इसकी घोषणा शुरूआत के पांच महीने बाद की गई, जो 80 दिन की सीमा से अधिक है (पैरा 8.8.4 डीजीटीआर मैनुअल)।

lxix. उत्पाद प्रकारों (17 पीसीएन) की विस्तृत श्रृंखला के कारण कुछ उत्पाद श्रेणियों को छोड़ देने से नमूनाकरण का जोखिम होता है, जिससे बाजार की स्थितियों के बारे में विकृत निष्कर्ष निकलते हैं।

lxx. निर्यातकों ने पहले ही प्रश्नावली के जवाब दे दिए हैं। अब सैंपलिंग शुरू करने से उन्हें WTO एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 6.10.2 के तहत व्यक्तिगत जांच से वंचित होना पड़ेगा।

lxxi. निर्यातकों की कीमतें औसत सीआईएफ मूल्य से अधिक हो सकती हैं। मूल्य निर्धारण डेटा की समीक्षा के बाद नमूना लेने से निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

lxxii. प्राधिकरण ने मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही नमूना लेने का निर्णय लिया। यह डब्ल्यूटीओ के वस्तुनिष्ठ और साक्ष्य-आधारित जांच के

सिद्धांतों के विपरीत है।

lxxiii. इस स्तर पर नमूना लेना अनुचित, अनावश्यक है, तथा इससे अपूर्ण विश्लेषण का जोखिम है। प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्तिगत एंटी-डंपिंग शुल्क निर्धारित करना चाहिए।

lxxiv. हिंडाल्को 8021 मिश्र धातु के एल्युमिनियम फॉयल के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में असमर्थ है, जो दवा पैकेजिंग के लिए आवश्यक है। यह घरेलू मांग का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही पूरा करता है और आपूर्ति की कमी पैदा करता है, जिससे संभावित एकाधिकार प्रथाओं और अधिक महंगी दवाओं को बढ़ावा मिलता है।

lxxv. मिश्र धातु 8021 का आयातित फॉयल विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा तन्य शक्ति, विस्तार, किनारे की गुणवत्ता, सतही दोष और कोर अंत उपयोगिता में हिंडाल्को से लगातार बेहतर प्रदर्शन करता है।

lxxvi. हिंडाल्को 60 माइक्रोन का उत्पादन या आपूर्ति नहीं करता है, केवल 52 माइक्रोन का उत्पादन या आपूर्ति करता है और उन्होंने हाल ही में एक संचार में अपनी इस असमर्थता को स्वीकार किया है।

lxxvii. आयातित पीयूसी बेहतर गुणवत्ता और प्रदर्शन के कारण फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में उपयोग के लिए बेहतर है, जबकि हिंडाल्को के उत्पादों को परिचालन मानकों के अनुरूप मोटाई रेंज, यांत्रिक गुणों और सतह/किनारे की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी।

lxxviii. हिंडाल्को की प्रसंस्करण अवधि में आमतौर पर लगभग दो सप्ताह का समय लगता है, जिससे उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है और आपूर्ति संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

lxxix. हिंडाल्को हरित एल्युमीनियम का उत्पादन नहीं करता है और इसका CO2 उत्सर्जन प्रति मीट्रिक टन एल्युमीनियम फॉयल *** मीट्रिक टन है, जो प्रति मीट्रिक टन एल्युमीनियम फॉयल *** मीट्रिक टन की सीमा से अधिक है।

lxxx. लगाए गए शुल्कों के कारण अंतिम उत्पाद की लागत में काफी वृद्धि होगी, जिससे पीवीसी फिल्म उद्योग और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

153. प्रकटीकरण विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी कम है और इससे अवैध डंपिंग का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकेगा।

ii) कच्चे माल, उपयोगिताओं और क्षमता उपयोग में मानकीकरण अनुचित है क्योंकि विषयगत वस्तुओं में विभिन्न पीसीएन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को उत्पाद की मोटाई के आधार पर अलग-अलग कच्चे माल की खपत, उपयोगिता उपयोग और क्षमता उपयोग की आवश्यकता होती है।

iii) घरेलू उद्योग 5 से 80 माइक्रोन तक के उत्पाद बनाता है, जिसमें मोटे फॉयल स्टॉक का उपयोग किया जाता है, जिसकी मोटाई रोलिंग मिलों के माध्यम से धीरे-धीरे कम की जाती है। प्रत्येक पास से बर्बादी बढ़ती है और परिणामस्वरूप उत्पादन कम होता है। उत्पादन में कमी से उत्पाद मिश्रण से स्वाभाविक रूप से उत्पादन में गिरावट आती है।

iv) उपयोग में कमी आती है । यह अकुशल उपयोग के कारण नहीं है और क्षमता में कोई भी अंतर वास्तविक है और उत्पाद मिश्रण के कारण है। इसलिए, कच्चे माल, उपयोगिताओं या क्षमता उपयोग के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं है।

v) वास्तविक आधार पर रिपोर्ट की गई जीएलएस की उपयोगिता लागतों पर विचार न करना, तथा इसके बजाय उपयोगिता लागतों की गणना के लिए रवि राज यूनिट II के उपभोग कारकों का उपयोग करना न केवल नियमों के साथ असंगत है, बल्कि इससे किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक की तुलना में उपयोगिता लागत कम हो गई है।

vi) हिंडाल्को की कच्चे माल की लागत त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक लागत दर्शाने के लिए कच्चे माल की लागत में अपस्ट्रीम संयंत्र द्वारा अपनी डाउनस्ट्रीम इकाई (मौदा) को दी गई छूट शामिल होनी चाहिए।

vii) प्राधिकरण ने कच्चे माल की लागत का मानकीकरण करते समय गलती से WIP में परिवर्तन को शामिल कर लिया है , हालांकि क्षति अवधि के दौरान WIP सकारात्मक और नकारात्मक आंकड़ों के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है, तथा बाद वाले को अभी भी मानकीकरण के लिए शामिल किया गया है ।

viii) प्राधिकरण ने मार्केटिंग व्यय और शाखा/मुख्यालय व्यय सहित अप्रत्यक्ष बिक्री और वितरण व्यय को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया है। यह नियमों के अनुसार नहीं है और इसे पहले कभी भी अस्वीकृत नहीं किया गया है।

ix) पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति से उत्पन्न *** रुपये प्रति माह की अस्वीकृति की गई है, तथापि, ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित वर्तमान देयता को भी घटाया जाना चाहिए।

x) रविराज के लिए उत्पादन लागत को पिछले क्षमता उपयोग पर विचार करके गलत तरीके से मानकीकृत किया गया है, जबकि क्षमता उपयोग में गिरावट संबंधित उत्पाद और उसकी जरूरतों के कारण है। क्षमता उपयोग में गिरावट उत्पादन क्षमता का अकुशल उपयोग नहीं है।

xi) यूरोपीय संघ, अमेरिका और तुर्की ने चीन जनवादी गणराज्य से आयातित एल्युमीनियम फॉयल पर एंटी-डंपिंग के साथ-साथ एंटी-सब्सिडी शुल्क भी लगाया है, तथापि, उनके लिए शुल्क और क्षति मार्जिन की मात्रा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई मात्रा से कहीं अधिक है।

xii) यदि अन्य देशों के समान उच्च शुल्क नहीं लगाया गया, तो घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलेगा और वह निरन्तर डंपिंग का लक्ष्य बना रहेगा, क्योंकि शुल्क अन्य बाजारों की तुलना में कम होगा।

xiii) प्राधिकरण को संदर्भ मूल्य या यथामूल्य के रूप में एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह अनुचित और अनुपयुक्त होगा।

xiv) आयातकों द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या दुरूपयोग को रोकने के लिए एक निश्चित मात्रा में ADD लगाया जाना चाहिए।

xv) एंटी-डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश 5 वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए।

ठ.3. प्राधिकरण द्वारा जांच

154. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात की गई टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि टिप्पणियाँ जो कि पुनरावृत्तियाँ हैं तथा जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप

से संबोधित किया जा चुका है, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात की जांच में उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात की गई टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

155. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक पक्षों को उचित समय प्रदान किया है।

156. जहां तक प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के पश्चात डंपिंग मार्जिन में परिवर्तन के संबंध में तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनंतिम निष्कर्ष जारी होने के पश्चात दायर किए गए उत्तरों का विस्तृत सत्यापन किया है तथा तदनुसार डंपिंग और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है।

157. केवल 2 वर्षों के लिए शुल्क की संस्तुति के अनुरोध के संबंध में, वर्तमान जांच में उचित जांच और सत्यापन के बाद, प्राधिकारी ने यह उचित समझा है कि शुल्क की संस्तुति पांच वर्षों के लिए की जाए

158. वर्तमान जांच में पीयूसी का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। कैपेसिटर के लिए 99.35% शुद्धता वाली 500 मिमी से कम चौड़ाई वाली 5-माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल और कैपेसिटर के लिए 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्युमिनियम फॉयल को शामिल करने का निर्णय 11 फरवरी को जारी किए गए शुद्धिपत्र से आया है, जो थाईलैंड जांच में परिभाषित पीयूसी के ओआई केस नंबर 18/2021 के साथ ओवरलैप को संबोधित करता है और सुधारता है। यह स्पष्टीकरण उचित संरेखण सुनिश्चित करता है और पीयूसी को परिभाषित करने में किसी भी अस्पष्टता से बचाता है, इसके दायरे में कोई बदलाव या विस्तार किए बिना।

159. इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि कुछ आवेदकों द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। जब ब्याज, मूल्यह्रास

और कर (पीबीडीआईटी) से पहले की कमाई की जांच की जाती है और पिछले वर्ष के साथ तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पीबीडीआईटी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। लाभ में यह गिरावट ब्याज और मूल्यह्रास लागत में इसी वृद्धि से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, पुराने उत्पादकों की लाभप्रदता में भी गिरावट आई है।

160. जहां तक इस तर्क का सवाल है कि 22% आरओसीई पुराना हो चुका है, यह ध्यान देने योग्य है कि 22% नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) बेंचमार्क का इस्तेमाल लगातार एंटी-डंपिंग जांच में किया जाता रहा है, जो घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करता है। प्राधिकरण को इस मामले में अपनी स्थापित प्रथा से अलग होने का कोई ठोस कारण नहीं मिला।

161. एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रभाव के संदर्भ में, अंतिम उपयोगकर्ताओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का प्रभाव न्यूनतम होने की उम्मीद है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और विषयगत वस्तुओं पर पिछली जांच से भी देखा गया है। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि नई उत्पादन क्षमताएं स्थापित की गई हैं, जिससे उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा, शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को दिखाने के लिए कोई सबूत सामने नहीं लाया गया है।

162. प्राधिकारी ने नोट किया कि गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और अयोग्यता पर इच्छुक पक्ष द्वारा दिए गए तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि इच्छुक पक्ष ने इस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। किसी भी मामले में, कई घरेलू खिलाड़ी हैं जो विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार उपलब्ध करा रहे हैं और ऐसी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं।

163. घरेलू उद्योग के गैर-प्रतिनिधित्व संबंधी तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के दायरे में सभी प्रकार के संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले नए और पुराने उत्पादक शामिल हैं। प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों को संचार भेजा और उत्पादकों से प्राप्त जानकारी पर वर्तमान जांच में विचार किया गया है। आवेदक उत्पादकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है और पाटनरोधी नियमों के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है।

164. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मूल्य दमन यह देखते हुए कि आयात और मंदी की जांच पीसीएन-वार की जानी चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि डंपिंग मार्जिन, क्षति

मार्जिन और मूल्य कटौती का निर्धारण करते समय आयातों के उचित मूल्यांकन और घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव के लिए उचित भारित औसत तुलना की गई है।

165. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों में अंतर है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का विस्तृत सत्यापन किया है तथा वर्तमान अधिसूचना में सत्यापित सूचना पर विचार किया गया है।

166. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि क्यूसीओ का कार्यान्वयन आयातों को विनियमित कर रहा है, यह ध्यान देने योग्य है कि क्यूसीओ केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयातित माल विशिष्ट गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, न कि आयात की मात्रा को सीमित करता है।

167. जहां तक इस तर्क का सवाल है कि हिंडाल्को द्वारा उत्पादित एल्युमीनियम फॉयल 8021 में पर्याप्त गुणवत्ता नहीं है, यह देखा गया है कि हिंडाल्को नियमित रूप से इस ग्रेड की आपूर्ति करता रहा है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह भी पता चलता है कि अन्य आवेदक उत्पादक भी इन ग्रेड का उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार, इच्छुक पक्षों के पास उक्त उत्पाद प्राप्त करने के लिए बाजार में पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हैं।

ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>

168. प्रस्तुत किए गए निवेदनों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, तथा पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा "80 माइक्रोन तक का एल्युमीनियम फॉयल" है, जो चीन जन.गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित है, जिसमें अनुच्छेद 30 में उल्लिखित उत्पाद प्रकार शामिल नहीं हैं।

ii. विषयगत वस्तुओं को सीमा शुल्क उप-शीर्षकों 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071994 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 76071992 .

iii. यह आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक नियमों के नियम 2(बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और नियम 5(3) के संदर्भ में मानदंडों को पूरा करते हैं।

iv. इन घरेलू कंपनियों की संयुक्त क्षमता और उत्पादन उत्पादकों दौरान ज्ञात भारतीय क्षमता और उत्पादन के मुकाबले पीओआई क्रमशः 1,32,140 मीट्रिक टन और 69,572 मीट्रिक टन था का 2,89,735 मीट्रिक टन और 1,26,495 माउंट इन कंपनियों इस प्रकार समग्र रूप से पीओआई में क्षमता का लगभग 45% और उत्पादन का 54% नियंत्रण ।

v. वर्तमान याचिका को ईएसएस डीईई एल्युमीनियम लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसआरएफ अलटेक लिमिटेड और ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन दिया गया है।

vi. चीन जन.गण. से निर्यातित विषयगत वस्तुएँ तथा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ 'समान वस्तु' हैं। प्रत्येक के लिए नियम 2 (डी) के अनुसार अन्य ए.डी. नियम, 1995. रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, परिभाषित घरेलू उद्योग भारत में आयात किए गए सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है।

vii. घरेलू और आयातित उत्पादों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने और डंपिंग स्थापित करने के लिए, प्राधिकरण ने पीसीएन प्रणाली को अपनाया है और पीसीएन-वार आंकड़ों पर विचार करके डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन स्थापित किया है।

viii. विचाराधीन उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। डंपिंग मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ix. संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयात का बहुमत है, तथा जांच अवधि में लगभग 66% है। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान, विशेष रूप से जांच अवधि में, संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

x. आवेदकों के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के

बावजूद, संबद्ध आयातों ने भारतीय बाजार के 30% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। मांग में वृद्धि की तुलना में चीनी आयात में वृद्धि कहीं अधिक तीव्र थी। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में खपत में कुल वृद्धि 106% थी, आयात में 178% की वृद्धि हुई और भारतीय उत्पादक की बिक्री में केवल 29% की वृद्धि हुई।

xi. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। कीमतों में कटौती के कारण घरेलू उद्योग को कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से भी अधिक बिक्री मूल्य कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

xii. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है।

xiii. बाजार में हिस्सेदारी की विषय देश है से अधिक वृद्धि हुई चोट की अवधि.

xiv. इसके बावजूद वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखने वाले आवेदकों के बावजूद, घरेलू उद्योग की भारतीय बाजार में मुश्किल से 55% हिस्सेदारी है।

xv. जांच अवधि में आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। जांच अवधि में नकद लाभ, ROI में भारी गिरावट आई है।

xvi. आवेदकों की औसत सूची में जांच अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

xvii. पाटित आयातों ने मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xviii. प्राधिकारी ने अन्य पक्षों द्वारा किसी अन्य कारक के बारे में किए गए निवेदनों की जांच की है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति, विषयगत देश से किए गए पाटित आयातों के कारण हुई है।

xix. प्राधिकरण ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच में सभी इच्छुक पक्षों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव का परिमाणीकरण भी प्रदान किया है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण किया है। यह देखा गया है कि उपायों का प्रभाव न्यूनतम होगा।

169. डंपिंग रोधी नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद , प्राधिकरण का विचार है कि वह आरोपण का एंटी-डंपिंग कर्तव्य है आवश्यक को ओफ़्सेट डंपिंग और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति। प्राधिकरण यह आवश्यक समझता है कि इस अधिनियम के तहत डंपिंग के लिए लगाए जाने वाले शुल्क को लागू करने की सिफारिश की जाए। एंटी-डंपिंग कर्तव्य पर आयात का विषय चीज़ें उद्भव में अथवा विषयगत देश से निर्यातित।

170. पालन किए जाने वाले कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो उसके बराबर अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर है। इस प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9, 9ए के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	**शीर्ष/ उप शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**धनराशि**	**मापने की इकाई**	**मुद्रा (यूएस डॉलर)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	**76071110, 76071190, 76071910, 76071991, 76071992, 76071993 76071994, 76071995, 76071999, 76072010, and 76072090, ***	"एल्यूमीनियम फ़ॉइल 80 माइक्रोन तक"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	हेनन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट कं. लि.	479	मी. टन	यूएसडॉ.
		** **निम्नलिखित को छोड़कर**			हेनन मिंगशेंग न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.			
2	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	सुनहो न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि.	642	मी. टन	यूएसडॉ.
3	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं. लि.	550	मी. टन	यूएसडॉ.
					इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कंपनी लिमिटेड हांग्जो फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड			
4	वही	वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	*** गैर-सैम्पल सहकारी उत्पादक	568	मी. टन	यूएसडॉ.

5	वही	वही	चीन जन. गण.	संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश	क्र.सं. 1,2, 3 और 4 के अलावा कोई उत्पादक	721	मी. टन	यूएसडॉ.
6	वही	वही	संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी	721	मी. टन	यूएसडॉ.

**नोट-सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और एंटी-डंपिंग शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

** ***निम्नलिखित को छोड़कर*** -

क. गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन गेज से नीचे एल्यूमीनियम फोइल ;

ख. 5 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से अधिक और 5.5 माइक्रोन तक के कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि कैपेसिटर के लिए 99.35% शुद्धता वाली 500 मिमी से कम चौड़ाई वाली 5-माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल और कैपेसिटर के लिए 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्युमिनियम फॉयल को पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है;

ग. **अल्ट्रा-लाइट गेज परिवर्तित फोइल इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल द्रव लाइनों को कवर करने और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग के लिए है** - अल्ट्रा लाइट गेज परिवर्तित फोइल एक एल्यूमीनियम फोइल है जिसमें 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई होती है, जो क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम, या ग्लास कपड़े के साथ समर्थित होती है, चाहे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल द्रव लाइनों को कवर करने और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग के लिए सादा या मुद्रित हो;

घ. **इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए नक्काशीदार या निर्मित एल्यूमीनियम फोइल** - नक्काशीदार या निर्मित एल्यूमीनियम फोइल वह एल्यूमीनियम फोइल है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है

ङ. **एल्यूमीनियम मिश्रित पैनल का उपयोग मुखौटा आवरण और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है** - एल्यूमीनियम मिश्रित पैनल एक गैर-एल्यूमीनियम कोर (अक्सर पीई) होता है, जो एल्यूमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा होता है, जिसका उपयोग मुखौटा आवरण और साइनेज में किया जाता है।

च. **<u>संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल से आच्छादित</u>** - संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल से आच्छादित एक संक्षारण प्रतिरोधी एल्युमीनियम शीट है, जो एल्युमीनियम की सतह परतों से निर्मित होती है, तथा उच्च-शक्ति एल्युमीनियम मिश्र धातु कोर सामग्री से धातुकर्म द्वारा बंधी होती है, जिसका उपयोग मोटर वाहन उद्योग में इंजन शीतलन तथा एयर कंडीशनर प्रणालियों और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है; जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

छ. **<u>बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल</u>** - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉयल, खुरदरी सतह वाली तथा छिद्रित, चाहे मुद्रित हो या नहीं; बीयर की बोतल में उपयोग के लिए।

ज. **<u>एल्यूमीनियम-मैंगनीज</u>**- सिलिकॉन आधारित और/या आवरणयुक्त एल्यूमीनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित मिश्रधातु, चाहे आवरणयुक्त हो या आवरण रहित - 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ, टैरिफ शीर्षक 7607 और 7606 के अंतर्गत आने वाले, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उसके भागों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए।

झ. चिपकने वाला टेप

ञ. **<u>रंग लेपित एल्युमीनियम फोइल</u>** - एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग की परवाह किए बिना।

ट. **<u>पॉलीयूरेथेन लेपित एल्युमीनियम फोइल</u>** - एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग की परवाह किए बिना।

****नॉन सैम्पल सहकारी कंपनियों की सूची*

1) शेडोंग डेली एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
2) जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड
3) लुआआंग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
4) ज़ियामेन ज़ियाशुन एल्यूमीनियम फॉयल कं, लिमिटेड
5) जियांग्सु फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
6) लुओयांग वानजी एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग कं, लिमिटेड
7) कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

171. इन निष्कर्षों के विरुद्ध अपील, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात, 1995 में संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी